भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भारिबैं/2025-26/195
विवि.एसटीआर.आरईसी.114/21.04.048/2025-26 28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश 2025

विषयसूची

अध्याय I – प्रारंभिक 3
ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ 3
बी. प्रयोज्यता 3
सी. परिभाषाएँ 3
अध्याय II - सामान्य अनुदेश 7
ए. बोर्ड की भूमिका 7
बी. ऋण देने में विवेक और उपभोक्ता शिक्षा 7
सी. प्रकटीकरण अपेक्षाएं 10
अध्याय III – आस्ति वर्गीकरण 11
ए. आस्ति वर्गीकरण पर सामान्य अनुदेश 11
बी. आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण प्रक्रियाओं का स्वचालन 12
सी. अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण 17
डी. तुलन-पत्र की तारीख के लगभग आसपास खातों का नियमितीकरण 19
ई. आस्ति वर्गीकरण के विशिष्ट मामले 20
एफ. अनर्जक आस्तियों की श्रेणियाँ 26
जी. एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों का उन्नयन 27
अध्याय IV - प्रावधानीकरण मानदंड 29
ए. प्रावधानीकरण के लिए सामान्य सिद्धांत 29
बी. मानक आस्तियों के संबंध में प्रावधान 30
सी. अवमानक आस्तियों के संबंध में प्रावधान 31
डी. संदिग्ध आस्तियों के संबंध में प्रावधान 32
ई. हानि आस्तियों के संबंध में प्रावधान 33
एफ. अस्थाई प्रावधानों के सृजन और उपयोग पर विवेकपूर्ण मानदंड 33

जी. निर्धारित दरों से अधिक दरों पर अतिरिक्त प्रावधान 34
एच. विशेष परिस्थितियों में प्रावधान 35
आई. प्रोविजनिंग कवरेज अनुपात (पीसीआर) 42
अध्याय V - आय निर्धारण 43
ए. आय निर्धारण के लिए सामान्य सिद्धांत 43
बी. एनपीए के रूप में वर्गीकरण होने पर आय का प्रतिवर्तन 43
सी. एनपीए वर्गीकरण के बाद ब्याज लगाना 44
डी. एनपीए से वसूली का विनियोजन 44
ई. विशेष मामलों में आय निर्धारण 44
एफ. प्रावधानों के संबंध में कर निर्धारण 46
अध्याय VI – निरसन और अन्य प्रावधान 47
ए. निरसन और बचाव 47
बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं 47
सी. व्याख्याएं 47
अनुबंध । 49

प्रस्तावना

भारतीय रिज़र्व बैंक ('रिजर्व बैंक') को सांविधिक रूप से देश की ऋण प्रणाली को उसके हित में संचालित करने का दायित्व सौंपा गया है। अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप तथा वित्तीय प्रणाली से संबंधित समिति (अध्यक्ष श्री एम. नरसिंहम) द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने चरणबद्ध रूप में बैंकों के अग्रिम संविभाग के लिए आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण करने के लिए विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किये हैं, ताकि प्रकाशित खातों में अधिक सामंजस्य और पारदर्शिता की दिशा में बढ़ा जा सके।

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 21 और 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा, इसके बाद विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय I – प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश 2025 कहा जाएगा।

2. ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

बी. प्रयोज्यता

3. ये निदेश लघु वित्त बैंक (जिन्हें आगे 'बैंक' कहा जाएगा) पर लागू होंगे।

4. इन निदेशों के अतिरिक्त, बैंक को आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और पुनर्संरचित खातों के लिए अग्रिमों के प्रावधान संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का भी पालन करना होगा, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश 2025 में निर्धारित है।

सी. परिभाषाएँ

5. इस निदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इसमें प्रयुक्त शब्दों का अभिप्राय नीचे दिए गए अनुसार होगा:

(1) *'फसल मौसम'* से तात्पर्य, प्रत्येक फसल के संबंध में,उस फसल की कटाई तक की अवधि है, जैसा कि प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) द्वारा निर्धारित किया गया है;

(2) *'संदिग्ध आस्ति'* से तात्पर्य ऐसी आस्ति से है जो बारह महीने की अवधि तक अवमानक श्रेणी में बनी रही हो;

(3) *'एक्सपोजर'* में सभी निधिक और गैर- निधिक एक्सपोजर (हामीदारी और इसी तरह की प्रतिबद्धताओं सहित) शामिल होंगे।

(4) *'दीर्घावधि फसलों'* से तात्पर्य उन फसलों से है जिनकी फसल अवधि एक वर्ष से अधिक होती है;

(5) *'हानि आस्ति'* से तात्पर्य ऐसी आस्ति से है जिसमें बैंक या आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा या रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए निरीक्षण में हानि की पहचान की गई हो, लेकिन बैंक द्वारा उस राशि को पूरी तरह से बट्टे खाते में नहीं डाला गया हो;

(6) *'अनर्जक आस्ति'* से तात्पर्य ऐसी आस्ति से है, जिसमें पट्टे पर दी गई आस्ति भी शामिल है, जिसने बैंक के लिए आय अर्जित करना बंद कर दिया हो;

(7) *'अनियमित दर्जा'* – नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट (सीसी/ओडी) खाता 'अनियमित' माना जाएगा यदि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी होती है:

 (i) बकाया राशि लगातार 90 दिनों तक संस्वीकृत सीमा/आहरण क्षमता से अधिक बनी रहती है;

 (ii) बकाया राशि संस्वीकृत सीमा/आहरण क्षमता से कम है, लेकिन लगातार 90 दिनों तक कोई क्रेडिट नहीं हुआ है;

 (iii) बकाया राशि संस्वीकृत सीमा/आहरण क्षमता से कम है, लेकिन क्रेडिट राशि पिछले 90 दिनों की अवधि के दौरान डेबिट किए गए ब्याज को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

 स्पष्टीकरण 1: उपर्युक्त (iii) में संदर्भित 'पिछले 90 दिनों की अवधि' में वह दिन भी शामिल होगा जिसके लिए दिन-अंत प्रक्रिया चलाई जा रही है।

स्पष्टीकरण 2: 'अनियमित दर्जा' ' की परिभाषा उन सभी क्रेडिट उत्पादों पर लागू होगी जो ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में दिए जा रहे हैं, जिनमें वे उत्पाद भी शामिल हैं जो कारोबार प्रयोजन के लिए नहीं हैं और/ या जिनमें केवल ब्याज की चुकौती ही एकमात्र जमा (क्रेडिट) होती है।

(iv) *'अतिदेय' दर्जा – किसी भी ऋण सुविधा के अधीन बैंक को देय कोई राशि 'अतिदेय' तब है यदि वह बैंक द्वारा निर्धारित तारीख को अदा नहीं की जाती है;*

(v) *'प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)'* से तात्पर्य *सकल गैर-निष्पादित आस्तियों के प्रावधान का अनुपात है और यह दर्शाता है कि ऋण हानियों को कवर करने के लिए कितनी धनराशि अलग रखी है;*

(vi) *'प्रतिभूति' से तात्पर्य बैंक के पास विधिवत रूप से गिरवी रखी गई मूर्त जमानत से है और इसमें गारंटी (राज्य सरकार की गारंटी सहित), चुकौती आश्वासन पत्र आदि जैसी अमूर्त जमानत शामिल नहीं होंगी;*

(vii) *'अल्प अवधि की फसलों' से तात्पर्य उन फसलों से है जो 'दीर्घ अवधि' की फसलें नहीं हैं;*

(viii) *'अवमानक आस्ति' से तात्पर्य ऐसी आस्ति से है, जो बारह महीने या उससे कम समय के लिए अनर्जक आस्ति (एनपीए) रही हो;*

(ix) *'अरक्षित एक्सपोजर' से तात्पर्य ऐसे एक्सपोजर से है, जिसमें किसी बैंक/अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं/रिज़र्व बैंक के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन के* अनुसार प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य, प्रारंभ में, बकाया ऋण के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होता है।

8. 'सूक्ष्म उद्यम', 'लघु उद्यम' और 'मध्यम उद्यम' शब्दों की परिभाषाएँ 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रवाह' पर दिनांक 2 जुलाई 2020 के परिपत्र एफआईडीडी.एमएसएमई और एनएफएस.बीसी.सं.3/06.02.31/2020-21 के अनुसार होंगी, जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

9. '*क्रेडिट इवेंट* और '*डिफ़ॉल्ट* शब्दों का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश 2025 में दिया गया है।

10. *'वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई)', 'वाणिज्यिक स्थावर संपदा – रिहायशी आवास क्षेत्र (सीआरई - आरएच)', 'परियोजना वित्त',* और *'वित्तीय पूर्णता'* शब्दों का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - ऋण सुविधाएं) निदेश 2025 में दिया गया है।

11. जब तक कि इस अधिनियम में परिभाषित न किया गया हो, अन्य सभी अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 या कंपनी अधिनियम, 2013 या इसके किसी सांविधिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन या रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अन्य विनियमों या रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित शब्दावली के तहत दिया गया है या वाणिज्यिक बोल-चाल में प्रयुक्त होता है, जैसा भी मामला हो।

अध्याय II - सामान्य अनुदेश

ए. बोर्ड की भूमिका

6. बैंक को इस अध्याय में निहित विनियमों के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करनी होगी, जिसमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित सिद्धांत/घटक शामिल होंगे:

(1) आय निर्धारण की नीति वस्तुनिष्ठ होगी और वसूली के अभिलेखों पर आधारित होगी, न कि किसी व्यक्तिपरक विचार पर;

(2) नीति में उस स्तर का उल्लेख होगा जिस तक अस्थाई प्रावधानों का निर्माण किया जा सकता है;

(3) वे परिस्थितियाँ जिन्हें क्षतिग्रस्त खातों में विशिष्ट प्रावधान करने के लिए अस्थाई प्रावधानों के उपयोग हेतु असाधारण माना जाएगा;

(4) विभिन्न क्षेत्रों में जोखिम और तनाव के मूल्यांकन के आधार पर, विनियामक न्यूनतम से अधिक दरों पर मानक आस्तियों के लिए प्रावधान करने की नीति;

(5) स्टॉक ऑडिट और संपार्श्विक के मूल्यांकन के लिए बाहरी एजेंसियों की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश;

(6) समग्र विनियामक दिशानिर्देशों के अंतर्गत ऋण सुविधाओं की समीक्षा/नवीनीकरण के लिए कार्यप्रणाली और आवधिकता संबंधी नीति;

(7) आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण प्रक्रियाओं के स्वचालन के अपवादों को अधिकृत करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन।

7. बैंक के निदेशक मंडल को खातों में बिगड़ती आस्ति गुणवत्ता को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा और ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगा। आस्ति गुणवत्ता में समस्याओं की शीघ्र पहचान और समाधान के लिए बैंक को सक्रिय होना और बड़े ऋणों पर सूचना के केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) का उपयोग करना आवश्यक है।

बी. ऋण देने में विवेक और उपभोक्ता शिक्षा

8. बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण और अग्रिम देते समय उधारकर्ताओं के साथ परामर्श करके नकदी प्रवाह के आधार पर यथार्थवादी पुनर्भुगतान अनुसूची निर्धारित की जाए, ताकि

उधारकर्ताओं द्वारा समय पर पुनर्भुगतान किया जा सके और इस प्रकार अग्रिमों की वसूली के रिकॉर्ड में सुधार हो सके।

9. 31 दिसंबर 2021 को या उसके बाद संस्वीकृत सभी ऋणों के संबंध में बैंक को निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करना होगा:

(1) ऋण के पुनर्भुगतान की नियत तिथियां, पुनर्भुगतान की आवृत्ति, मूलधन और ब्याज का विवरण, विशेष उल्लेख खाते (एसएमए) / अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकरण की तिथियों के उदाहरण आदि ऋण करार में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए जाएंगे;
(2) उधारकर्ता को ऋण संस्वीकृति के समय और ऋण के पूर्ण पुनर्भुगतान तक संस्वीकृति शर्तों / ऋण करार में किसी भी बाद के परिवर्तन के समय इसकी सूचना दी जाएगी;
(3) मूलधन और/या ब्याज के भुगतान पर अधिस्थगन वाली ऋण सुविधाओं के मामलों में, पुनर्भुगतान प्रारंभ होने की नियत तिथि भी ऋण करार में निर्दिष्ट की जाएगी।

10. 31 दिसंबर 2021 से पहले संस्वीकृति ऋणों के मामले में, जब भी ऐसे ऋण नवीनीकरण/समीक्षा के लिए देय हो जाएंगे तब पैरा 13 में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

11. बैंक द्वारा संस्वीकृत कार्यशील पूंजी खातों के संबंध में बैंक को निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना होगा:

(1) यह सुनिश्चित करें कि कार्यशील पूंजी खातों में आहरण चालू आस्तियों की पर्याप्तता से कवर हो।
(2) आहरण क्षमता का निर्धारण वर्तमान स्टॉक विवरण के आधार पर किया जाएगा।
(3) उपर्युक्त उप-पैरा (2) के होते हुए भी, बड़े उधारकर्ताओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, आहरण क्षमता निर्धारित करने के लिए बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्टॉक विवरण तीन महीने से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
(4) तीन महीने से अधिक पुराने स्टॉक विवरणों से गणना की गई आहरण क्षमता के आधार पर खाते में बकाया राशि अनियमित मानी जाएगी।

12. नियमित और *तदर्थ* ऋण सीमा की समीक्षा/नियमितीकरण नियत तिथि/तदर्थ संस्वीकृति की तिथि से तीन महीने के भीतर किया जाएगा।

13. उधारकर्ताओं से वित्तीय विवरण और अन्य डेटा की अनुपलब्धता जैसी बाधाओं के मामले में, बैंक को यह दिखाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए कि ऋण सीमा का नवीनीकरण/समीक्षा पहले से ही चल रही है और जल्द ही पूरी हो जाएगी।

14. बैंक को समग्र विनियामक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत ऋण सुविधाओं की समीक्षा/नवीनीकरण के लिए कार्यप्रणाली और आवधिकता पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति का सख्ती से पालन करना होगा।

15. बैंक को उचित कारणों के बिना बार-बार तदर्थ/अल्पकालिक समीक्षा/ऋण सुविधाओं के नवीनीकरण से बचना चाहिए।

16. बैंक को ऋण सुविधाओं की नियमित और तदर्थ/अल्पकालिक समीक्षा/नवीनीकरण से संबंधित सभी डेटा को अपने कोर बैंकिंग सिस्टम/प्रबंधन सूचना प्रणाली में संग्रहित करना होगा और इसे लेखापरीक्षकों/रिज़र्व बैंक द्वारा किसी भी लेखापरीक्षा या निरीक्षण के लिए आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना होगा। इसके अतिरिक्त, ऋण सुविधाओं की समीक्षा/नवीनीकरण से संबंधित प्रक्रियाओं को बैंक के समवर्ती/आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण तंत्र के दायरे में लाया जाना चाहिए।

17. पैरा 13 के होते हुए भी, छह महीने से अधिक की देरी को सामान्य अनुशासन के रूप में वांछनीय नहीं माना जाता है।

18. 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक के शेष वाले एनपीए के मामलों में, स्टॉक मूल्यांकन पर विश्वसनीयता बढ़ाने और प्रतिभूति के मूल्य के आकलन में अंतर से उत्पन्न होने वाली भिन्नता को कम करने के लिए, बोर्ड द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार नियुक्त बाहरी एजेंसियों द्वारा वार्षिक अंतराल पर स्टॉक ऑडिट अनिवार्य होगा।

19. 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक के शेष वाले एनपीए के मामलों में, बैंक के पक्ष में गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों जैसी संपार्श्विक संपत्तियों का मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा तीन साल में एक बार किया जाएगा।

20. बैंक को ऐसे अधिवक्ताओं से स्पष्टीकरण मांगना होगा जो आस्तियों के वैध स्वामित्व को गलत तरीके से प्रमाणित करते हैं या ऐसे मूल्यांकनकर्ताओं से जो लापरवाही या मिलीभगत से प्रतिभूति मूल्य का बढ़ा-चढ़ाकर उल्लेख करते हैं। यदि एक माह के भीतर उनसे कोई उत्तर/संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है, तो बैंक उनके नाम आईबीए को सूचित कर सकता है। आईबीए

भविष्य में उनकी सेवाएं लेने से पहले विचार करने हेतु ऐसे अधिवक्ताओं/मूल्यांकनकर्ताओं के नाम अपने सदस्यों के बीच प्रसारित कर सकता है। आईबीए इस उद्देश्य के लिए एक केंद्रीय रजिस्ट्री का गठन करेगा।

21. उधारकर्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए बैंक को निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करना होगा:

(1) अपनी वेबसाइट पर उपभोक्ता शिक्षा साहित्य प्रकाशित करे, जिसमें उदाहरणों सहित, देय तिथि, विशेष उल्लेख खाता और अनर्जक आस्ति वर्गीकरण एवं उन्नयन की अवधारणाओं को, विशेष रूप से डे-एंड (दिन की समाप्ति) की प्रक्रिया के संदर्भ में समझाया गया हो;

(2) अपनी शाखाओं में पोस्टर और/या अन्य उपयुक्त माध्यमों से ऐसे उपभोक्ता शिक्षा साहित्य को प्रदर्शित करने पर विचार करे;

(3) यह सुनिश्चित करे कि अग्रिम पंक्ति के अधिकारी ऋण संस्वीकृत/संवितरित/नवीनीकृत करते समय उधारकर्ताओं को उनके द्वारा लिए गए ऋणों के संबंध में इन सभी अवधारणाओं के बारे में शिक्षित करें।

सी. प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

22. बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश 2025 में निहित अपेक्षाओं के अनुसार अपने लेखा-नोटों में उपयुक्त प्रकटीकरण करना होगा।

अध्याय III – आस्ति वर्गीकरण

ए. आस्ति वर्गीकरण पर सामान्य अनुदेश

23. बैंक ऋण या अग्रिम को मानक आस्ति या अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करेगा, जैसा भी मामला हो।

24. बैंक को व्यक्तिगत खाता स्तर के साथ-साथ खंड स्तर (आस्ति वर्ग, उद्योग, भौगोलिक क्षेत्र, आकार आदि) पर आपात के संकेतों का शीघ्र पता लगाने के लिए एक सुदृढ़ प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) तंत्र स्थापित करना होगा। इन प्रारंभिक चेतावनी संकेतों का उपयोग एक प्रभावी निवारक आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन ढांचा तैयार करने के लिए किया जाना चाहिए, जिसमें प्रचलित विनियामक ढांचे के भीतर संकटग्रस्त व्यवहार्य खातों के लिए एक पारदर्शी पुनर्गठन तंत्र शामिल हो, ताकि सभी खंडों में उन संस्थाओं के आर्थिक मूल्य को संरक्षित किया जा सके।

25. बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) तथा एमआईएस प्रणाली सुदृढ़ होनी चाहिए जिससे वह बैंक की आस्ति गुणवत्ता के संबंध में विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण जानकारी उत्पन्न कर पाए ताकि प्रभावी निर्णय लिया जा सकें। विनियामक/सांविधिक रिपोर्टिंग के तहत दी गई जानकारी और उसकी स्वयं की एमआईएस रिपोर्टिंग के बीच कोई विसंगति नहीं होनी चाहिए।

26. बैंक, देय तिथि के लिए अपने डे-एंड प्रक्रियाओं के भाग के रूप में, उधारकर्ता खाते को अतिदेय के रूप में चिह्नित करेगा, चाहे ऐसी प्रक्रियाएं किसी भी समय चलाई जाएं।

27. इसी प्रकार, उधारकर्ता खातों का एसएमए और एनपीए के रूप में वर्गीकरण संबंधित तिथि के लिए डे-एंड की प्रक्रिया के भाग के रूप में किया जाएगा और एसएमए या एनपीए वर्गीकरण तिथि वह कैलेंडर तिथि होगी जिसके लिए डे-एंड की प्रक्रिया चलाई जाती है। इस प्रकार, एसएमए/एनपीए की तिथि उस कैलेंडर तिथि के डे-एंड में खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति को दर्शाएगी।

उदाहरण 1: यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च 2021 है और इस तिथि के लिए बैंक द्वारा डे-एंड प्रक्रिया चलाने से पहले पूरी राशि प्राप्त नहीं होती है, तो अतिदेय तिथि 31 मार्च 2021 मानी जाएगी। यदि यह लगातार अतिदेय रहता है, तो 30 अप्रैल 2021 को डे-एंड प्रक्रिया चलाने पर, यानी लगातार 30 दिनों तक अतिदेय रहने पर, इस खाते को एसएमए-1 के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा। तदनुसार, उस खाते के लिए एसएमए-1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल 2021 होगी।

इसी प्रकार, यदि खाता बकाया रहता है, तो 30 मई 2021 को डे-एंड की प्रक्रिया चलने पर इसे एसएमए-2 के रूप में टैग किया जाएगा और यदि यह आगे भी बकाया रहता है, तो 29 जून 2021 को डे-एंड की प्रक्रिया चलने पर इसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

28. बैंक की आस्तियों का अनर्जक के रूप में वर्गीकरण, मानदंडों को एकसमान और सुसंगत लागू करना सुनिश्चित करते हुए, वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर और सुस्पष्ट ऋण कमजोरियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

29. बैंक के पास अनर्जक आस्तियों और पुनर्गठित आस्तियों के संबंध में सिस्टम द्वारा जनरेट की गई खंडवार जानकारी होनी चाहिए, जिसमें प्रारंभिक शेष, वृद्धि, कमी (उन्नयन, वास्तविक वसूली, बट्टे खाते में डालना आदि), समापन शेष, रखे गए प्रावधान, तकनीकी बट्टे खाते में डालना आदि से संबंधित डेटा शामिल हो सकता है।

30. बैंक अपने सकल अग्रिम, निवल अग्रिम, सकल एनपीए और निवल एनपीए की गणना अनुबंध-I में दिए गए प्रारूप के अनुसार करेगा।

31. यदि साख पत्रों के हस्तांतरण या लागू गारंटियों से उत्पन्न नामे को एक अलग खाते में रखा जाता है, तो उस खाते में बकाया राशि को भी इन निदेशों के लागू होने के उद्देश्य से उधारकर्ता के प्रधान परिचालन खाते का हिस्सा माना जाना चाहिए।

बी. आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण प्रक्रियाओं का स्वचालन

32. स्वचालन का कवरेज:

(1) आकार, क्षेत्र या सीमा के प्रकार पर ध्यान दिए बिना, अस्थायी ओवरड्राफ्ट सहित सभी उधार खाते, आस्ति वर्गीकरण, उन्नयन और प्रावधान प्रक्रियाओं के लिए स्वचालित आईटी आधारित प्रणाली ('सिस्टम') के अंतर्गत आएंगे। बैंक के निवेश भी सिस्टम के अंतर्गत आएंगे।

(2) विनियामक प्रावधानों के अनुपालन में, आस्ति वर्गीकरण नियम सिस्टम में कॉन्फ़िगर किए जाएंगे।

(3) प्रावधान आवश्यकता की गणना भी विभिन्न श्रेणियों की आस्तियों, सिस्टम में दर्ज प्रतिभूति के मूल्य और प्रावधान आवश्यकताओं पर समय-समय पर जारी किए गए किसी भी अन्य विनियामक प्रावधानों के लिए पूर्व-निर्धारित नियमों के अनुसार सिस्टम आधारित होगी।

(4) इसके अतिरिक्त, क्षत आस्तियों (एनपीए/अनर्जक निवेश [एनपीआई]) के मामले में आय निर्धारण/मान्यता रद्द करना सिस्टम द्वारा संचालित होगी और आय खाते से प्रतिवर्ती राशि बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के सिस्टम से प्राप्त की जाएगी।

(5) सिस्टम बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस (एसटीपी) के माध्यम से खातों के डाउनग्रेड और अपग्रेड दोनों को करेगा।

33. खातों के अवमूल्यन और उन्नयन दोनों के लिए सिस्टम आधारित आस्ति वर्गीकरण एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि डे-एंड की प्रक्रिया के अंतर्गत आस्ति वर्गीकरण की स्थिति अद्यतन की जाए। बैंक किसी भी समय आस्तियों को एनपीए/एनपीआई के रूप में वर्गीकृत करने की वास्तविक तिथि सहित वर्गीकरण स्थिति रिपोर्ट तैयार करने में सक्षम होना चाहिए।

34. स्वचालन के अपवाद:

(1) कुछ विशेष परिस्थितियों में सिस्टम-आधारित वर्गीकरण का अपवाद दिया जा सकता है, जिसका न्यूनतम और अस्थायी होने की उम्मीद है। ये अपवाद इन निदेशों के तहत आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों से न होकर स्वचालित वर्गीकरण से संबंधित होंगे और नीचे निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होंगे।

(2) कोई बैंक सिस्टम-आधारित आस्ति वर्गीकरण प्रक्रिया में मैन्युअल हस्तक्षेप/ओवरराइड का सहारा नहीं लेगा।

(3) किसी भी असाधारण परिस्थिति में, जहां सिस्टम वर्गीकरण को ओवरराइड करने के लिए मैन्युअल हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, वहां कम से कम दो स्तरीय प्राधिकार होना चाहिए। अपवादों को अधिकृत करने के लिए शक्तियों का ऐसा प्रत्यायोजन बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार होगा (बोर्ड की अनुपलब्धता की स्थिति में सीईओ द्वारा) और अधिमानतः केंद्रीकृत स्थान से किया जाएगा तथा उचित रूप से प्रलेखित किया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे किसी भी हस्तक्षेप का उचित लेखापरीक्षा रिकॉर्ड होना चाहिए और समवर्ती एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा इसकी लेखापरीक्षा की जानी चाहिए। ऐसे मैन्युअल हस्तक्षेप की विस्तृत रिपोर्ट नियमित रूप से लेखापरीक्षा समिति / लेखापरीक्षा प्रमुख (बोर्ड रहित बैंकों में) के समक्ष रखी जाएगी।

(4) बैंक को सभी अपवादों, अर्थात् मैन्युअल हस्तक्षेप/ओवरराइड, के लिए लॉग बनाए रखने होंगे, जिनमें दिनांक और टाइम स्टांप; उद्देश्य/कारण; उपयोगकर्ता आईडी, मैन्युअल हस्तक्षेप करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम तथा आवश्यक खाता विवरण शामिल होंगे। ये लॉग कम से कम तीन वर्षों तक सुरक्षित रखे जाएंगे और भंडारण अवधि के दौरान इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये लॉग सिस्टम द्वारा तैयार किए जाएंगे।

35. सिस्टम अपेक्षाएं और सिस्टम ऑडिट:

(1) यदि कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) के बाहर किसी अलग एप्लिकेशन का उपयोग एनपीए/एनपीआई पहचान और/या वर्गीकरण के लिए सिस्टम के रूप में किया जाता है, तो सिस्टम को सीबीएस और/या बैंक के अन्य प्रासंगिक एप्लिकेशन से आवश्यक डेटा तक पहुंच होनी चाहिए और उधारकर्ता/निवेश खातों को एसटीपी के माध्यम से, जहां भी लागू हो, स्वचालित रूप से सीबीएस में अपडेट किया जाएगा।

(2) बैंक को सिस्टम के बिजनेस लॉजिक और अन्य पैरामीटर/कॉन्फ़िगरेशन को अद्यतन रखना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सिस्टम आधारित निर्धारण, वर्गीकरण, प्रावधान और आय निर्धारण विनियामक दिशानिर्देशों के साथ निरंतर रूप से अनुपालन में हैं।

(3) सिस्टम ऑडिट में अच्छी तरह से पारंगत आंतरिक/बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा, वर्ष में कम से कम एक बार, आवधिक सिस्टम ऑडिट किया जाएगा, जो सिस्टम पैरामीटर के साथ-साथ इन निदेशों के अनुसार आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुपालन के दृष्टिकोण से भी सिस्टम ऑडिट में निपुण हों।

36. एनपीए वर्गीकरण प्रणाली को तैयार करने और बनाए रखने के दौरान बैंक को निम्नलिखित मूलभूत आवश्यकताओं का पालन करना होगा:

(1) डेटा इनपुट

(i) सिस्टम में किसी भी माध्यम से दर्ज किया गया डेटा बिना किसी ट्रंकेशन के पूरी तरह से कैप्चर और संग्रहीत किया जाएगा [उदाहरण के लिए, टाइम स्टैम्प - दिनांक और समय के साथ, विवरण फ़ील्ड, या कैप्चर किया गया कोई अन्य टेक्स्ट डेटा]।

(ii) यूज़र इनपुट के लिए सिस्टम में आवश्यक वैलिडेशन/वेरिफिकेशन चेक मौजूद होना सुनिश्चित किया जाए, जहां भी लागू हो। ऐसे वैलिडेशन में, दूसरी चीज़ों के अलावा, डेटा टाइप वैलिडेशन, मिन/मैक्स वैल्यू, अपवाद आदि की जांच होनी चाहिए।

(iii) सिस्टम में मैन्युअल रूप से डाले गए डेटा के लिए ज़रूरी डेटा वैलिडेशन/चेक सुनिश्चित किया जा, जहाँ भी लागू हो। उदाहरण के लिए, मास्टर डेटा (या बैंक की आंतरिक नीति के अनुसार सिस्टम में डाले गए आस्ति वर्गीकरण में इस्तेमाल होने वाले पैरामीटर) के साथ ऐसे वैलिडेशन, मार्जिन सेटिंग, अधिस्थगन अवधि, प्रतिभूति मूल्यांकन, चुकौती अनुसूची, अलग-अलग तरह के खाता धारकों (लागू होने के अनुसार) से मैप/लिंक किए गए उत्पाद आदि में आमतौर पर पाई जाने वाली गलत प्रविष्टियों (यह सूची पूरी न होकर केवल उदाहरण के लिए है) से जुड़ी समस्याओं को रोक सकते हैं।

(iv) प्रमाणीकरण और प्राधिकार के बाद ही डेटा इनपुट किया जाएगा।

(2) उपयोगकर्ता एक्सेस प्रबंधन

(i) यह सुनिश्चित करें कि सिस्टम में सभी 'यूज़र-आईडी' की पहचान विशिष्ट हो। यदि कोई जेनेरिक यूज़र-आईडी उपयोग की जाती है, तो उसका उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए और ऐसी आईडी को उपयोगकर्ता की कर्मचारी आईडी से अनिवार्य रूप से जोड़ा जाना चाहिए ताकि जेनेरिक आईडी के अंतर्गत की गई गतिविधियों की जवाबदेही तय की जा सके।

(ii) एप्लिकेशन के उपयोगकर्ताओं के लिए दो-कारक या उच्च स्तर के अधिप्रमाणन का प्रावधान करें।

(iii) सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सिस्टम तक एक्सेस को 'आवश्यकतानुसार / न्यूनतम विशेषाधिकार' के आधार पर प्रतिबंधित करें।

(iv) सिस्टम में दर्ज किए गए लेन-देनों के लिए मेकर चेकर प्राधिकरण/नियंत्रण प्रदान करें (लेन-देनों की उदाहरण सूची में आंतरिक खातों, ग्राहक खातों, वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों मापदंडों को अद्यतन/संशोधित करना शामिल है जो क्रेडिट पोर्टफोलियो/ऋण/आस्ति की स्थिति को प्रभावित करते हैं)। इसमें

सिस्टम में ऐडमिनिस्ट्रेटर खातों द्वारा किए गए लेन-देन/गतिविधियाँ भी शामिल होंगी। (उदाहरण के लिए: उपयोगकर्ता आईडी, भूमिकाएँ, विशेषाधिकार जिसमें विभिन्न मॉड्यूल तक एक्सेस अधिकार शामिल हैं का सृजन/अद्यतन/संशोधित करना; सिस्टम से संबंधित गतिविधियाँ, जिनमें मास्टर डेटा को अद्यतन करना आदि शामिल हैं, को पूरा करने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होनी चाहिए)।

(3) स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी): इन निदेशों के अनुसार एनपीए/एनपीआई वर्गीकरण के लिए सभी महत्वपूर्ण सिस्टम/एड़-ऑन सब- सिस्टम/मॉड्यूल आदि के साथ निर्बाध और सुरक्षित तरीके से एसटीपी का प्रावधान और एसटीपी एकीकरण के लिए सहायता प्रदान करें। ऐसा एसटीपी तंत्र किसी मौजूद ग्राहक द्वारा ली गई सभी सुविधाओं (ऋण और अग्रिम के मामले में) और किसी संस्था के सभी उपकरणों (जहां बैंक ने किसी संस्था में निवेश किया है) को बैंक की कई प्रणालियों में बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के निर्बाध रूप से ध्यान में रखेगा। इसके अलावा, बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि यदि एनपीए वर्गीकरण प्रक्रिया सीबीएस के बाहर की जाती है, तो ग्राहक खातों के आस्ति वर्गीकरण सहित अद्यतन खाता स्थिति स्वचालित रूप से सीबीएस में प्रवाहित हो।

(4) बैक-एंड डेटा एक्सेस प्रतिबंध

(i) बैकएंड से डेटा या पैरामीटर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। सिस्टम को आवश्यक प्राधिकरण के बाद ही फ्रंटएंड (एप्लिकेशन (जैसे: सीबीएस) से ही, न कि बैकएंड डेटाबेस अपडेट के माध्यम से डेटा आइटम में परिवर्तन करने की अनुमति देनी चाहिए। सिस्टम में एक्सेस, डेटा या पैरामीटर में किए गए किसी भी परिवर्तन के ऑडिट ट्रेल/लॉग, उपयोगकर्ता के विशिष्ट विवरण के साथ दर्ज किए जाने चाहिए।

(ii) दुर्लभ परिस्थितियों में अपवाद होने पर, ऐसे परिवर्तनों को उचित स्तर पर विधिवत अनुमोदित किया जाएगा और दस्तावेजीकृत किया जाएगा। लेखा परीक्षकों को बैक-एंड एक्सेस और किए गए परिवर्तनों की पूरी सूची तैयार करने के लिए एमआईएस रिपोर्ट का प्रावधान उपलब्ध होना चाहिए।

(5) ऑडिट लॉग

(i) सभी लेन-देन (वित्तीय और गैर-वित्तीय) के अनिवार्य क्षेत्रों (जो लेन-देन को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं और भविष्य में लेखापरीक्षा/फोरेंसिक उद्देश्य के लिए लेन-देन की पहचान करने के लिए आवश्यक हैं) के विवरण को दर्ज करने के लिए लेखापरीक्षा ट्रेल/लॉग के प्रावधान किए जाएंगे।

(ii) मास्टर डेटा में परिवर्तन के लिए लॉग बनाए रखे जाएंगे। प्रशासनिक विशेषाधिकार प्राप्त उपयोगकर्ताओं के सिस्टम द्वारा उत्पन्न गतिविधि लॉग भी बनाए रखे जाएंगे।

(iii) अभिलेखीय समाधान में एक्सेस नियंत्रण के साथ एन्क्रिप्टेड प्रारूप में लॉग का सुरक्षित भंडारण और प्रतिधारण।

(6) सिस्टम द्वारा जनित एनपीए: एनपीए/एनपीआई निर्धारण के लिए आवश्यक सभी पैरामीटर सीबीएस या संबंधित उप-प्रणालियों/मॉड्यूल में इन निदेशों के अनुसार आस्ति कोडों के एनपीए/एनपीआई निर्धारण/वर्गीकरण के लिए दर्ज किए जाएंगे। इसमें एनपीए/एनपीआई निर्धारण के लिए सभी पैरामीटरों को दर्ज करने वाली एक अलग एमआईएस रिपोर्ट का प्रावधान होना चाहिए। ऐसे पैरामीटर सॉल्यूशन/सब-सिस्टम की संरचना के अनुसार डेटाबेस या एप्लिकेशन में ही कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं।

(7) परीक्षण वातावरण: बैंक में डमी डेटा और सॉल्यूशन के उत्पाद वातावरण के समान कार्यात्मक तर्क के साथ मौजूदा परीक्षण वातावरण पर्यवेक्षकों को उनकी साइट पर पर्यवेक्षण दौरा(ओं) के दौरान आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाएगा। अन्य बातों के अलावा, यह आवश्यक होगा कि नमूना लेनदेन की समीक्षा की जाए ताकि यह आकलन किया जा सके कि सॉल्यूशन मौजूदा परिवेश में एनपीए/एनपीआई निर्धारण के लिए लागू विनियामक निर्देशों का अनुपालन करता है या नहीं।

37. बैंक को परिचालन स्टाफ द्वारा उपयोग के लिए सिस्टम आधारित एनपीए वर्गीकरण हेतु अपनी मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करनी होगी।

सी. अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण

38. बैंक किसी ऋण या अग्रिम को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करेगा यदि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी होती है:

(1) सावधि ऋण के संबंध में ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक *अतिदेय* रहती है;

(2) ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता 'अनियमित' रहता है;

(3) कार्यशील पूंजी उधार खाता जिसमें अनियमित निकासी लगातार 90 दिनों तक की जाती है, भले ही इकाई कार्यरत हो या उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो;

(4) खरीदे और भूनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है;

(5) ऐसा खाता जिसमें नियमित/तदर्थ ऋण सीमा की समीक्षा/नवीनीकरण नियत तिथि/तदर्थ स्वीकृति की तिथि से 180 दिनों के भीतर नहीं किया गया हो;

(6) अल्प अवधि की फसलों के लिए मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त दो फसल मौसमों तक बकाया रहती है;

(7) दीर्घ अवधि की फसलों के लिए मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त एक फसल मौसम तक बकाया रहती है;

(8) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - प्रतिभूतिकरण लेनदेन) निदेश 2025 के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है;

(9) डेरिवेटिव लेनदेन के संबंध में, डेरिवेटिव संविदा के सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) मूल्य का दर्शाने वाली अतिदेय प्राप्य राशियाँ, भुगतान की निर्दिष्ट नियत तिथि से 90 दिनों की अवधि तक अदा नहीं की जाती हैं।

बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहां अनुबंध परिपक्वता से पहले डेरिवेटिव संविदा के वर्तमान मार्क-टू-मार्केट मूल्य के निपटान का प्रावधान करता है, केवल वर्तमान क्रेडिट एक्सपोजर (संभावित भविष्य के एक्सपोजर नहीं) को 90 दिनों की अतिदेय अवधि के बाद अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा;

बशर्ते इसके अतिरिक्त कि, यदि कोई बैंक अपने विवेक के आधार पर, हेजिंग डेरिवेटिव संविदा के कल्पित एक्सपोजर को कम करने के लिए, परिपक्वता से पहले डेरिवेटिव संविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है, और बैंक ने ऐसे डेरिवेटिव संविदाओं (जिसमें विदेशी मुद्रा वायदा संविदा भी शामिल हैं) के क्रिस्टलीकृत एमटीएम के किश्तों में भुगतान की अनुमति दी है, तो प्राप्य राशि को अनर्जक आस्ति के रूप में

वर्गीकृत किया जाएगा: (i) यदि डेरिवेटिव संविदा की आंशिक/पूर्ण समाप्ति की तिथि से 90 दिनों के लिए राशि बकाया हो जाती है; या (ii) यदि बाद की किश्तों के भुगतान की नियत तिथि से 90 दिनों के लिए राशि बकाया हो जाती है।

(10) क्रेडिट कार्ड खाता, जिसमें विवरण में उल्लिखित न्यूनतम देय राशि, विवरण में उल्लिखित भुगतान देय तिथि से 90 दिनों के भीतर पूरी तरह से भुगतान नहीं की जाती है।

39. पैरा 38 में उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्त, इस अध्याय के कुछ विशिष्ट प्रावधानों के अनुसार, जिनमें पैरा 47 से 58 और भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश 2025 में निहित अनुदेश शामिल हैं, किसी खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

40. आस्ति वर्गीकरण उधारकर्ता-वार होगा, न कि सुविधा-वार। किसी बैंक द्वारा उधारकर्ता को दी गई सभी सुविधाएं और उधारकर्ता द्वारा जारी की गई सभी प्रतिभूतियों में किया गया निवेश, सभी को एनपीए/ एनपीआई माना जाएगा, न कि वह विशेष सुविधा/निवेश या उसका कोई भाग जो अनियमित हो गया हो।

41. किसी आस्ति को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना वसूली के रिकॉर्ड पर आधारित होना चाहिए। बैंक को किसी अग्रिम खाते को केवल कुछ अस्थायी कमियों के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं करना चाहिए, जैसे कि नवीनतम उपलब्ध स्टॉक विवरण के आधार पर पर्याप्त आहरण शक्ति की अनुपलब्धता, अस्थाई रूप से सीमा से अधिक बकाया राशि, स्टॉक विवरण प्रस्तुत न करना और नियत तिथि पर सीमा का नवीनीकरण न करना आदि।

42. किसी अग्रिम को एनपीए (पैरा 63 में दिए गए प्रावधान के अलावा) या अन्यथा मानने के उद्देश्य से उधारकर्ता/गारंटर की प्रतिभूति या निवल मालियत की उपलब्धता को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए।

डी. तुलन-पत्र की तारीख के आसपास खातों का नियमितीकरण

43. जिन उधार खातों में तुलन-पत्र की तारीख से पहले एक या कुछ क्रेडिट दर्ज किए जाते हैं, उन उधार खातों का आस्ति वर्गीकरण सावधानी से और व्यक्तिपरकता की गुंजाइश के बिना किया जाना चाहिए।

44. जहां उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर खाते में अंतर्निहित कमजोरी दिखाई देती है, वहां खाते को एनपीए माना जाना चाहिए।

45. अन्य वास्तविक मामलों में, बैंक सांविधिक लेखा परीक्षकों/निरीक्षण अधिकारियों को खाते के नियमितीकरण के तरीके के बारे में संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ताकि उनकी निष्पादन स्थिति पर संदेह दूर हो सके।

ई. आस्ति वर्गीकरण के विशिष्ट मामले

46. किसी उधारकर्ता के पक्ष में साख पत्र (एलसी) के तहत भुनाए गए बिलों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं भी किया जा सकता है, जब उधारकर्ता को दी गई कोई अन्य सुविधा एनपीए के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

47. पैरा 46 के होते हुए भी, यदि एलसी के अंतर्गत दस्तावेज प्रस्तुति पर स्वीकार नहीं किए जाते हैं या एलसी जारी करने वाले बैंक द्वारा किसी भी कारण से एलसी के अंतर्गत भुगतान नियत तिथि पर नहीं किया जाता है और उधारकर्ता संबंधित भुनाए गए बिलों के परिणामस्वरूप संवितरित राशि का तुरंत भुगतान नहीं करता है, तो भुनाए गए बकाया बिलों को उस तिथि से तुरंत एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जिस तिथि से अन्य सुविधाओं को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

48. डेरिवेटिव संविदा

(1) यदि अग्रिम संविदा और बिलकुल सादा स्वैप और विकल्पों से उत्पन्न होने वाले बकाया एनपीए बन जाते हैं, तो ग्राहक को दी गई अन्य सभी वित्तपोषित सुविधाएं भी उधारकर्ता-वार वर्गीकरण के सिद्धांत के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत की जाएंगी।

(2) यदि संबंधित ग्राहक बैंक का उधारकर्ता भी है और बैंक से कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठा रहा है, तो डेरिवेटिव संविदा से प्राप्त होने वाली राशि नियत तिथि पर उस खाते में डेबिट की जा सकती है और इसके भुगतान न होने का प्रभाव कैश क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट सुविधा खाते में दर्शाया जाएगा। इन निदेशों के अनुसार, उधारकर्ता-वार आस्ति वर्गीकरण का सिद्धांत यहां भी लागू होगा।

(3) एनपीए के रूप में वर्गीकृत डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में आय निर्धारण पैरा 131 के अनुसार होगी।

49. सहायता संघ (कंसोर्टियम) व्यवस्थाओं के अंतर्गत अग्रिम

(1) सहायता संघ के अंतर्गत खातों का आस्ति वर्गीकरण व्यक्तिगत सदस्य की वसूली के रिकॉर्ड और अग्रिमों की वसूली पर असर डालने वाले अन्य पहलुओं पर आधारित होगा।

(2) जहां संघीय ऋण व्यवस्था के तहत उधारकर्ता द्वारा भेजे गए धन को सहायता संघ के किसी सदस्य के पास एकत्रित किया जाता है और/या जहां धन प्राप्त करने वाला सहायता संघ सदस्य अन्य सदस्यों के हिस्से को नहीं छोड़ता है, तो खाते को अन्य सदस्यों की बही में सर्विस न किए गए खाते के रूप में माना जाएगा और इसलिए, इसे एनपीए माना जाएगा।

(3) सहायता संघ में भाग लेने वाले बैंक को, अतः, अपनी बही में उचित आस्ति वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए, अग्रणी बैंक से वसूली का अपना हिस्सा अंतरित करवाने की व्यवस्था करनी चाहिए या वसूली के अपने हिस्से के अंतरण के लिए अग्रणी बैंक से स्पष्ट सहमति प्राप्त करनी चाहिए।

50. प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी (पीएसीएस) / कृषक सेवा समितियों (एफएसएस) को दिए गए अग्रिम जिन्हें बैंकों को सौंप दिया गया।

(1) कृषि संबंधी ऋणों के साथ-साथ बैंक द्वारा पीएसीएस/एफएसएस को आगे उधार देने की प्रणाली के अंतर्गत दिए गए अन्य प्रयोजनों के ऋणों के संबंध में, पीएसीएस/एफएसएस को दी गई केवल वही ऋण सुविधा, जो अल्प अवधि की फसलों के मामले में दो फसल मौसमों और लंबी अवधि की फसलों के मामले में एक फसल मौसम तक देय होने के बाद चूक में रहती है, उसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, न कि पीएसीएस/एफएसएस को स्वीकृत सभी ऋण सुविधाओं को।

(2) बैंक द्वारा पीएसीएस/एफएसएस के सदस्य उधारकर्ता को आगे उधार देने की प्रणाली के बाहर दिए गए अन्य प्रत्यक्ष ऋण और अग्रिम, यदि कोई हो, एनपीए हो जाएंगे, भले ही उसी उधारकर्ता को दी गई क्रेडिट सुविधाओं में से एक एनपीए हो जाए।

51. सावधि जमा, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), किसान विकास पत्र (केवीपी) आदि के विरुद्ध अग्रिम

(1) सावधि जमा के विरुद्ध अग्रिम, अभ्यर्पण के लिए पात्र एनएससी, केवीपी और जीवन बीमा पॉलिसियों को एनपीए के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बशर्ते खातों में पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध हो।

(2) सोने के आभूषणों, सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य सभी प्रतिभूतियों के विरुद्ध अग्रिम इस छूट के दायरे में नहीं आते हैं।

52. ब्याज के भुगतान के लिए अधिस्थगन के साथ ऋण

(1) औद्योगिक परियोजनाओं के लिए या कृषि बागानों आदि के लिए दिए गए वित्त के मामले में, जहां ब्याज के भुगतान के लिए अधिस्थगन उपलब्ध है, ब्याज का भुगतान अधिस्थगन या उत्पादन-पूर्व अवधि समाप्त होने के बाद ही 'देय' हो जाता है। ब्याज की ऐसी मात्रा अतिदेय नहीं होती है और इसलिए ब्याज की डेबिट की तारीख के संदर्भ में एनपीए नहीं बन जाती है। वे ब्याज के भुगतान के लिए नियत तारीख के बाद अतिदेय हो जाते हैं, यदि एकत्र नहीं किया जाता है।

(2) स्टाफ सदस्यों को आवास ऋण या ऐसे ही अग्रिमों के मामले में, जहां मूलधन की वसूली के बाद ब्याज देय है, ब्याज को पहली तिमाही से अतिदेय नहीं माना जाना चाहिए. ऐसे ऋणों/अग्रिमों को केवल एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, जब संबंधित नियत तारीखों पर मूलधन की किस्त के पुनर्भुगतान या ब्याज के भुगतान में चूक हो।

53. कृषि अग्रिम

(1) किसी कृषक द्वारा उगाई गए फसलों की अवधि के आधार पर, उप-पैराग्राफ 38 (6) और 38 (7) के अनुसार एनपीए मानदंड उनके द्वारा लिए गए कृषि सावधि ऋणों पर भी लागू किए जाएंगे।

(2) उप-पैराग्राफ 38 (6) और 38 (7) के अनुसार एनपीए मानदंड केवल कृषि गतिविधियों के लिए विस्तारित निम्नलिखित क्रेडिट सुविधाओं पर लागू:

(i) केवल कृषि में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न व्यक्तिगत किसानों [स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) या संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) सहित, अर्थात् व्यक्तिगत किसानों के समूहों को दिए गए ऋण, बशर्ते बैंक ऐसे ऋणों का अलग-अलग डेटा रखता हो]। इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(ए) किसानों को फसल ऋण, जिसमें पारंपरिक/गैर-पारंपरिक बागान और बागवानी शामिल होगी;

(बी) कृषि के लिए किसानों को मध्यम और दीर्घकालिक ऋण (उदाहरण के लिए: कृषि उपकरण और मशीनरी की खरीद और खेत में की जाने वाली अन्य विकासात्मक गतिविधियाँ);

(सी) किसानों को फसल कटाई से पहले और बाद की गतिविधियों, जैसे छिड़काव, कटाई, ग्रेडिंग और अपने स्वयं के कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए दिए गए ऋण;

(डी) कृषि उपज (गोदाम रसीदों सहित) के गिरवी/बंधक के बदले किसानों को 60 लाख रुपये तक का ऋण, जो बारह महीने से अधिक की अवधि के लिए न हो;

(ई) गैर-संस्थागत ऋणदाताओं से ऋणी संकटग्रस्त किसानों को दिए गए ऋण;

(एफ) किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों को दिए गए ऋण;

(जी) कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि क्रय हेतु लघु एवं सीमांत किसानों (एसएमएफ) को दिए गए ऋण।

(ii) कॉर्पोरेट किसानों, व्यक्तिगत किसानों के किसान उत्पादक संगठनों/कंपनियों (एफपीओ)/(एफपीसी), साझेदारी फर्मों और कृषि में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न किसानों की सहकारी समितियों को प्रति उधारकर्ता ₹4 करोड़ की कुल सीमा तक ऋण। इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(ए) किसानों को दिए जाने वाले फसल ऋण जिनमें पारंपरिक/गैर-पारंपरिक बागान और बागवानी शामिल होंगे;

(ख) कृषि के लिए किसानों को मध्यम और दीर्घकालिक ऋण (उदाहरण के लिए: कृषि उपकरणों की खरीद, तकनीकी समाधान, मशीनरी और खेत में की जाने वाली विकासात्मक गतिविधियाँ);

(सी) किसानों को फसल कटाई से पहले और बाद की गतिविधियों, जैसे छिड़काव, कटाई, छँटाई और अपने स्वयं के कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए दिए गए ऋण ;

(डी) कृषि उपज (गोदाम रसीदों सहित) के गिरवी/बंधक के बदले 2.5 करोड़ रुपये तक के ऋण, जो बारह महीने से अधिक की अवधि के लिए न हों।

(iii) प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों (पीएसीएस), किसान सेवा सोसाइटियों (एफएसएस) और बड़े आकार वाली आदिवासी बहु प्रयोजनीय समितियों (एलएएमपीएस) को कृषि के लिए ऋण देना।

(3) कृषि ऋणों के संबंध में, उपरोक्त उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट ऋणों के अलावा, एनपीए की पहचान गैर-कृषि अग्रिमों के समान आधार पर की जाएगी, जो वर्तमान में 90 दिनों का चूक मानदंड है।

(4) जहां प्राकृतिक आपदाएं उपरोक्त उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए कृषि उधारकर्ताओं की पुनर्भुगतान क्षमता को प्रभावित करती हैं, वहां अनुसूचित बैंक राहत उपाय के रूप में स्वयं ही अल्पकालिक उत्पादन ऋण को सावधि ऋण में परिवर्तित करने या पुनर्भुगतान अवधि को पुनर्निर्धारित करने का निर्णय ले सकता है; और नए अल्पकालिक ऋण की संस्वीकृति समय-समय पर अद्यतन किए गए दिनांक 17 अक्टूबर 2018 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) निदेश 2018 - एससीबी के अधीन दे सकता है।

(5) रूपांतरण या पुनर्निर्धारण के ऐसे मामलों में, सावधि ऋण के साथ-साथ नए अल्पकालिक ऋण को चालू देय माना जा सकता है और इसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

(6) इन ऋणों का आस्ति वर्गीकरण इसके बाद संशोधित नियमों और शर्तों द्वारा अभिशासित होगा और यदि ब्याज और/या मूलधन की किस्त अल्प अवधि की फसलों के लिए दो फसल मौसमों और लंबी अवधि की फसलों के लिए एक फसल मौसम तक बकाया रहती है तो इसे एनपीए माना जाएगा।

(7) इंदिरा आवास योजना / प्रधान मंत्री ग्राम आवास योजना और स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना के तहत किसानों को दिए गए ग्रामीण आवास ऋणों के मामले में पुनर्भुगतान अनुसूची तय करते समय, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे ऋणों पर देय ब्याज / किस्त फसल चक्रों से जुड़ी हो।

54. सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिम

(1) केंद्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित ऋण सुविधाएँ, भले ही अतिदेय हों, केवल तभी एनपीए मानी जाएँगी जब सरकार गारंटी का दावा किए जाने पर उसका खंडन कर दे।
(2) उपरोक्त उप-पैरा (1) में दी गई छूट आय निर्धारण के उद्देश्य से नहीं है।
(3) राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिम और राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश पर आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड लागू होंगे यदि ब्याज और/या मूलधन या बैंक को देय कोई अन्य राशि 90 दिनों से अधिक समय तक अतिदेय रहती है।

55. निर्यात परियोजना वित्त

(1) निर्यात परियोजना वित्तपोषण के संबंध में, ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां वास्तविक आयातक ने विदेशी बैंक को बकाया राशि का भुगतान कर दिया हो, लेकिन युद्ध, संघर्ष, संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध आदि जैसी राजनीतिक घटनाओं के कारण बैंक राशि भेजने में असमर्थ हो।
(2) ऐसे मामलों में, जहां ऋण देने वाला बैंक दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से यह सिद्ध कर सकता है कि आयातक ने बैंक के बहीखातों में एनपीए होने से पहले विदेशी बैंक में राशि जमा करके बकाया राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया है, लेकिन आयातक का देश राजनीतिक या अन्य कारणों से धनराशि भेजने की अनुमति नहीं दे रहा है, तो आस्ति वर्गीकरण आयातक द्वारा विदेशी बैंक में राशि जमा करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के बाद किया जा सकता है।

56. ऋण जोखिमों का अंतरण– ऋणों के अंतरण से संबंधित लेनदेन के संबंध में आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी आवश्यकताएं भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – क्रेडिट जोखिम का अंतरण और संवितरण) निदेश 2025 के अनुसार होंगी।

57. क्रेडिट कार्ड खाते

(1) कोई बैंक क्रेडिट कार्ड खाते को क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को 'देय तिथि से अधिक' के रूप में रिपोर्ट करेगा या दंडात्मक शुल्क, जैसे विलंब शुल्क आदि, यदि कोई हो, तभी लगाएगा जब क्रेडिट कार्ड खाता तीन दिनों से अधिक समय तक बकाया रहे।

(2) हालांकि, बकाया दिनों की संख्या और विलंब शुल्क की गणना क्रेडिट कार्ड विवरण में उल्लिखित भुगतान की नियत तिथि से की जाएगी।

58. अंतरण (टेकआउट) वित्त

(1) संबंधित बैंक, जिसके बहीखातों में खाता प्रासंगिक तिथि को शेष पत्र मद के रूप में दर्ज है, आस्ति वर्गीकरण मानदंडों का पालन करेगा।

(2) यदि अधिग्रहण करने वाली संस्था द्वारा अधिग्रहण से पहले ऋण सुविधा एनपीए हो जाती है, तो ऋण देने वाला बैंक अस्ति को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करेगा।

(3) किसी बैंक द्वारा अधिग्रहण के बाद, अधिग्रहण करने वाला बैंक आस्ति को उसके एनपीए होने की वास्तविक तिथि से ही एनपीए के रूप में वर्गीकृत करेगा, भले ही खाता उस तिथि को उसके बहीखातों में दर्ज न हो।

एफ. अनर्जक आस्तियों की श्रेणियाँ

59. बैंक, अनर्जक आस्तियों को, आस्ति के अनर्जक रहने की अवधि और देय राशि की वसूली योग्यता के आधार पर, 'अवमानक आस्तियों', 'संदिग्ध आस्तियों' और 'हानि आस्तियों' की श्रेणियों में वर्गीकृत करेगा।

60. कोई एनपीए जिसे अवमानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्रेडिट कमजोरियां होंगी जो कर्ज के परिसमापन को खतरे में डालती हैं और इस बात की स्पष्ट संभावना होती है कि यदि कमियों को दूर नहीं किया जाता है तो बैंक को कुछ नुकसान होगा।

61. कोई एनपीए जिसे संदिग्ध आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उसमें वे सभी कमजोरियां होती हैं जो अवमानक आस्तियों में अंतर्निहित होती हैं, साथ ही यह अतिरिक्त विशेषता भी होती है कि इन कमजोरियों के कारण वर्तमान में ज्ञात तथ्यों, स्थितियों और मूल्यों के आधार पर पूर्ण वसूली या परिसमापन अत्यधिक संदिग्ध और असंभव हो जाता है।

62. हानि आस्ति के रूप में वर्गीकृत एनपीए को असंग्रहणीय माना जाता है और इसका मूल्य इतना कम होता है कि बैंक योग्य आस्ति के रूप में इसका जारी रहना उचित नहीं है, भले ही इसमें कुछ अवशिष्ट या वसूली मूल्य हो।

63. पैरा 42 के बावजूद, उन खातों के संबंध में जहां प्रतिभूति के मूल्य में कमी या प्रतिभूति की अनुपलब्धता और उधारकर्ताओं द्वारा किए गए धोखाधड़ी जैसे अन्य कारकों के अस्तित्व के कारण वसूली के लिए संभावित खतरे हैं, आस्ति को उचित रूप से संदिग्ध या हानि प्रतिभूति के रूप में सीधे वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

64. पैरा 63 के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित लागू होगा:

(1) प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट को महत्वपूर्ण तब माना जाएगा जब प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य, बैंक द्वारा मूल्यांकित मूल्य या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अंतिम निरीक्षण के समय स्वीकृत मूल्य के पचास प्रतिशत से कम हो। ऐसे एनपीए सीधे तौर पर संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत किए जा सकते हैं।

(2) यदि बैंक/अनुमोदित मूल्यांककों/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मूल्यांकित प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य, उधार खातों में बकाया राशि के दस प्रतिशत से कम है, तो प्रतिभूति का अस्तित्व नकार दिया जाएगा और आस्ति को सीधे तौर पर हानि आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

जी. एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों का उन्नयन

65. एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को 'मानक' आस्ति के रूप में तभी अपग्रेड किया जा सकता है जब उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन का पूरा बकाया चुका दिया गया हो।

66. पुनर्गठन, वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ तिथि (डीसीसीओ) की प्राप्ति न होने आदि के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों के उन्नयन के संबंध में, इन निदेशों के अनुपालन के अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश 2025 में निर्दिष्ट निदेश लागू होंगे।

67. यदि उधारकर्ताओं के पास किसी बैंक से एक से अधिक ऋण सुविधाएँ हैं, तो ऋण खातों को एनपीए से मानक आस्ति श्रेणी में तभी अपग्रेड किया जाएगा जब सभी ऋण सुविधाओं से संबंधित ब्याज और मूलधन का पूरा बकाया चुका दिया जाएगा।

68. आंशिक और तकनीकी राइट-ऑफ का सहारा लेने वाला बैंक ऋण या अग्रिम के शेष भाग को मानक आस्ति के रूप में नहीं दिखाएगा।

अध्याय IV - प्रावधानीकरण मानदंड

ए. प्रावधानीकरण के लिए सामान्य सिद्धांत

69. आस्तियों के वर्गीकरण के आधार पर प्रावधान किया जाएगा, जो आस्ति के अनर्जक रहने की अवधि, प्रतिभूति की उपलब्धता और उसके वसूली योग्य मूल्य पर आधारित होगा।

70. ऋण आस्तियों, निवेश या अन्य आस्तियों के मूल्य में किसी भी कमी के लिए पर्याप्त प्रावधान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी बैंक के प्रबंधन और सांविधिक लेखा परीक्षकों की है।

71. रिजर्व बैंक के निरीक्षण अधिकारी द्वारा किया गया मूल्यांकन बैंक को प्रस्तुत किया जाता है ताकि बैंक प्रबंधन और सांविधिक लेखा परीक्षकों को विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों के अनुसार पर्याप्त और आवश्यक प्रावधान करने के संबंध में निर्णय लेने में सहायता मिल सके।

72. किसी खाते के वसूली के संदेहपूर्ण होने, उसके ऐसा निर्धारण, प्रतिभूति की वसूली और बैंक के पास गिरवी रखी गई प्रतिभूति के मूल्य में समय के साथ होने वाली कमी के बीच के समय अंतराल को ध्यान में रखते हुए, बैंक को अवमानक आस्तियों, *संदिग्ध* आस्तियों और हानि आस्तियों के संबंध में प्रावधान करना होगा।

73. प्रकाशित तुलन पत्र की अनुसूची 9 में दर्शाए जाने वाले असुरक्षित अग्रिमों की राशि निर्धारित करते समय, बैंकों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं (अवसंरचना परियोजनाओं सहित) के संबंध में बैंक को गिरवी रखी गई आस्तियों, लाइसेंसों, प्राधिकरणों आदि को मूर्त जमानत के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। अतः ऐसे अग्रिमों को गैर-जमानती माना जाएगा।

74. बैंक, सड़क/राजमार्ग परियोजनाओं और टोल संग्रह अधिकारों के संबंध में निर्माण-परिचालन-अंतरण (बीओटी) मॉडल के तहत वार्षिकी को मूर्त जमानत के रूप में मान सकता है, जहां परियोजना प्रायोजक को एक निश्चित स्तर का यातायात प्राप्त न होने पर क्षतिपूर्ति करने का प्रावधान है, बशर्ते कि वार्षिकी और टोल संग्रह अधिकार प्राप्त करने का बैंक का अधिकार कानूनी रूप से लागू करने योग्य और अपरिवर्तनीय हो।

75. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के मामले में, किसी बैंक को देय ऋण को रियायत करार के अनुसार परियोजना प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित सीमा तक सुरक्षित माना जा सकता है, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें लागू हों:

(1) उपयोगकर्ता शुल्क/टोल/टैरिफ भुगतान एक निलंब खाते में रखे जाते हैं, जहां वरिष्ठ ऋणदाताओं को रियायतग्राही द्वारा निकासी पर प्राथमिकता प्राप्त होती है;

(2) परियोजना राजस्व अपेक्षा से कम होने की स्थिति में, जोखिम को कम करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं, जैसे कि उपयोगकर्ता शुल्क में पूर्व-निर्धारित वृद्धि या रियायत अवधि में वृद्धि;

(3) रियायतग्राही द्वारा चूक की स्थिति में ऋणदाताओं को प्रतिस्थापन का अधिकार होता है;

(4) कर्ज चुकौती में चूक की स्थिति में ऋणदाताओं को समाप्ति करने का अधिकार होता है; और

(5) समाप्ति होने पर, परियोजना प्राधिकरण का दायित्व है: (क) अनिवार्य खरीद; और (ख) पूर्व-निर्धारित तरीके से देय ऋण का पुनर्भुगतान।

(6) ऐसे सभी मामलों में, बैंक को त्रिपक्षीय करार के प्रावधानों की कानूनी प्रवर्तनीयता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना होगा और ऐसे करारों के साथ अपने पिछले अनुभव को ध्यान में रखना होगा।

बी. मानक आस्तियों के संबंध में प्रावधान

76. बैंक को वैश्विक ऋण पोर्टफोलियो के आधार पर वित्तपोषित बकाया राशि के लिए निम्नलिखित दरों पर मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान करना होगा:

(1) कृषि गतिविधियों, व्यक्तिगत आवास ऋणों और लघु एवं सूक्ष्म उद्यम (एसएमई) क्षेत्रों को 0.25 प्रतिशत की दर पर कृषि ऋण;

(2 वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई) क्षेत्र को 1.00 प्रतिशत की दर पर ऋण;

(3) वाणिज्यिक स्थावर संपदा - आवासीय आवास क्षेत्र (सीआरई - आरएच) को 0.75 प्रतिशत की दर पर ऋण;

(4) पैरा 116 में उल्लिखित लुभावनी दरों पर आवास ऋण;

(5) पुनर्गठित अग्रिम – जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश 2025 में निर्धारित है;

(6) समय-समय पर अद्यतन किए गए मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) निदेश 2018 – एससीबी के अनुसार पुनर्गठित और मानक के रूप में वर्गीकृत अग्रिम, 5.00 प्रतिशत पर;

(7) उपर्युक्त (1) – (6) में शामिल न किए गए अन्य सभी ऋण और अग्रिम 0.40 प्रतिशत पर।

77. मध्यम उद्यमों को दिए जाने वाले ऋणों पर 0.40 प्रतिशत मानक आस्ति प्रावधान लागू होगा।

78. निवल एनपीए की गणना करते समय मानक आस्तियों पर किए गए प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

79. मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को सकल अग्रिमों से घटाना आवश्यक नहीं है, बल्कि इन्हें तुलन पत्र की अनुसूची 5 में 'अन्य देयताएं और प्रावधान अन्य' के अंतर्गत 'मानक आस्तियों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान' के रूप में अलग से दिखाया जाना चाहिए।

80. बैंक को अपने उधारकर्ताओं की अरक्षित की गई विदेशी मुद्रा संबंधी जोखिमों का आकलन भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - ऋण जोखिम प्रबंधन) निदेश 2025 में निहित अनुदेशों के अनुसार करना होगा और ऐसे सभी संस्थाओं के प्रति अपने सभी जोखिमों पर निम्नानुसार वृद्धिशील प्रावधान करने होंगे:

संभावित हानि / ब्याज और मूल्यह्रास से पूर्व अर्जन (ईबीआईडी) (प्रतिशत)	**मौजूदा मानक आस्ति प्रावधान के अतिरिक्त कुल ऋण जोखिमों पर वृद्धिशील प्रावधान आवश्यकता**
15 प्रतिशत तक	0
15 प्रतिशत से अधिक और 30 प्रतिशत तक	20 बीपीएस
30 प्रतिशत से अधिक और 50 प्रतिशत तक	40 बीपीएस
50 प्रतिशत से अधिक और 75 प्रतिशत तक	60 बीपीएस
75 प्रतिशत से अधिक	80 बीपीएस

स्पष्टीकरण: इस उद्देश्य के लिए, कर्ज चुकौती कवरेज अनुपात (डीएससीआर) की गणना के लिए परिभाषित, ईबीआईडी = कर पश्चात लाभ + मूल्यह्रास + ऋण पर ब्याज + पट्टा किराया, यदि कोई हो, का उपयोग किया जाएगा।

सी. अवमानक आस्तियों के संबंध में प्रावधान

81. निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) गारंटी कवर और उपलब्ध प्रतिभूतियों के लिए कोई भत्ता दिए बिना, अवमानक आस्तियों के संबंध में कुल बकाया पर 15 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान किया जाएगा।

82. जिन 'अरक्षित एक्सपोजर' की पहचान 'अवमानक' के रूप में की गई है, उन पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान लागू होगा, अर्थात् बकाया राशि पर कुल 25 प्रतिशत।

83. पैरा 82 में उल्लिखित बातों के बावजूद, अवसंरचना ऋण खातों को, जिन्हें अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अवसंरचना ऋण के संबंध में उपलब्ध एस्क्रो खातों जैसी कुछ सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए 20 प्रतिशत का प्रावधान लागू होगा। कम प्रावधान के इस लाभ को प्राप्त करने के लिए, बैंक के पास नकदी प्रवाह को एस्क्रो में रखने के लिए एक उपयुक्त तंत्र होना चाहिए और साथ ही इन नकदी प्रवाहों पर उसका स्पष्ट और विधिक प्रथम दावा होना चाहिए।

84. पट्टे पर दी गई आस्तियों के मामले में, प्रावधान पट्टे में किए गए निवल निवेश और वित्त शुल्क घटक को घटाकर प्राप्त वित्त आय के अप्राप्त भाग के योग का 15 प्रतिशत होगा। 'पट्टे में निवल निवेश', 'वित्त आय' और 'वित्त शुल्क' शब्दों को 'एएस 19 पट्टे' में परिभाषित किया गया है।

85. असुरक्षित पट्टे के एक्सपोजर, जिन्हें 'अवमानक' के रूप में पहचाना जाता है, पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान लागू होगा, यानी कुल 25 प्रतिशत।

डी. संदिग्ध आस्तियों के संबंध में प्रावधान

86. बैंक उस सीमा तक 100 प्रतिशत प्रावधान करेगा जिस सीमा तक अग्रिम राशि उस प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य से कवर नहीं होती जिस पर बैंक का वैध सहारा है और वसूली योग्य मूल्य का अनुमान यथार्थवादी आधार पर लगाया जाता है।

87. प्रतिभूत हिस्से के संबंध में, आस्ति के संदिग्ध रहने की अवधि के आधार पर, प्रतिभूत हिस्से के 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की दरों पर निम्नलिखित आधार पर प्रावधान किया जाएगा:

वह अवधि जिसके लिए अग्रिम राशि 'संदिग्ध' श्रेणी में बनी हुई है	**प्रावधान की आवश्यकता (प्रतिशत)**
एक वर्ष तक	25
एक से तीन वर्ष	40
तीन वर्ष से अधिक	100

88. 'संदिग्ध' श्रेणी में वर्गीकृत पट्टे पर दी गई आस्तियों के मामले में, पट्टे पर दी गई आस्ति के वसूली योग्य मूल्य द्वारा वित्त प्रतिभूत न होने की सीमा तक 100 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया जाएगा। वसूली योग्य मूल्य का अनुमान यथार्थवादी आधार पर लगाया जाना चाहिए।

89. उपर्युक्त प्रावधान के अतिरिक्त, पैरा 87 में निर्दिष्ट दरों पर पट्टे में निवल निवेश और प्रतिभूत हिस्से के वित्त शुल्क घटक को छोड़कर वित्त आय के अप्राप्त हिस्से के योग पर प्रावधान किया जाएगा, जो उस अवधि पर निर्भर करेगा जिसके लिए आस्ति संदिग्ध रही है।

ई. हानि आस्तियों के संबंध में प्रावधान

90. हानि आस्तियों को बट्टे खाते में डाल देना चाहिए।

91. यदि किसी कारणवश हानि आस्तियों को बहीखातों में रहने दिया जाता है, तो बकाया राशि का 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाना चाहिए।

92. इसी प्रकार, यदि किसी कारणवश, 'हानि' के रूप में वर्गीकृत पट्टे पर दी गई आस्ति को बहीखातों में रहने दिया जाता है, तो पट्टे में निवल निवेश और वित्त शुल्क घटक को घटाकर वित्त आय के अप्राप्त भाग के योग का 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाएगा।

एफ. अस्थाई प्रावधानों के सृजन और उपयोग पर विवेकपूर्ण मानदंड

93. बैंक को ‘अग्रिम’ और ‘निवेश’ के लिए अलग-अलग अस्थाई प्रावधान रखने होंगे और पैरा 94 और 95 में निर्धारित दिशानिर्देश ‘अग्रिम’ और ‘निवेश पोर्टफोलियो’ दोनों के लिए रखे गए अस्थाई प्रावधानों पर लागू होंगे।

94. अस्थाई प्रावधानों के उपयोग के सिद्धांत

(1) अनर्जक आस्तियों के संबंध में मौजूदा विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों के अनुसार विशिष्ट प्रावधान करने या मानक आस्तियों के लिए विनियामक प्रावधान करने के लिए अस्थाई प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(2) बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त करने और रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से, असाधारण परिस्थितियों में आकस्मिकताओं के लिए, क्षत खातों में विशिष्ट प्रावधान करने हेतु अस्थाई प्रावधानों का उपयोग किया जाएगा।

(3) असाधारण परिस्थितियाँ उन हानियों को संदर्भित करती हैं जो सामान्य व्यवसायिक गतिविधियों के दौरान उत्पन्न नहीं होतीं और प्रकृति में अपवादात्मक और अनियमित होती हैं।

(4) ये असाधारण परिस्थितियाँ मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में आती हैं, अर्थात् सामान्य, बाजार और ऋण।

(5) सामान्य श्रेणी के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ किसी देश में नागरिक अशांति या मुद्रा के पतन जैसी घटनाओं के कारण बैंक को अप्रत्याशित रूप से हानि हो जाती है। प्राकृतिक आपदाएँ और महामारियाँ भी सामान्य श्रेणी में शामिल हो सकती हैं।

(6) बाज़ार श्रेणी में बाज़ारों में व्यापक मंदी जैसी घटनाएँ शामिल हो सकती हैं, जो संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करती हैं।

(7) ऋण श्रेणी में, केवल अपवादात्मक ऋण हानियों को ही असाधारण परिस्थिति माना जाएगा।

95. अस्थाई प्रावधानों का लेखांकन

(1) अस्थाई प्रावधान को लाभ-हानि खाते में जमा करके प्रतिवर्ती नहीं किया जाएगा। इनका उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में विशिष्ट प्रावधान करने के लिए किया जा सकता है, जैसा कि पैरा 98 में उल्लेख किया गया है।

(2) ऐसे उपयोग से पहले, इन प्रावधानों को सकल एनपीए से घटाकर निवल एनपीए का प्रकटीकरण किया जा सकता है।

(3) वैकल्पिक रूप से, अस्थाई प्रावधान को कुल जोखिम भारित आस्तियों के 1.25 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर टियर II पूंजी के हिस्से के रूप में माना जा सकता है।

जी. निर्धारित दरों से अधिक दरों पर अतिरिक्त प्रावधान

96. इन निदेशों में निर्धारित प्रावधान दरें विनियामक न्यूनतम हैं।

97. बैंक को अर्थव्यवस्था के तनावग्रस्त क्षेत्रों को दिए गए ऋणों के संबंध में उच्च दरों पर प्रावधान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिन्हें मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

98. बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानक परिसंपत्तियों के लिए विनियामक न्यूनतम से अधिक दरों पर प्रावधान करने की नीति की समीक्षा कम से कम त्रैमासिक आधार पर की जाएगी, जिसमें बैंक की विभिन्न अर्थव्यवस्था क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि उनमें मौजूद और उभरते जोखिमों और तनावों का आकलन किया जा सके। समीक्षा में ऋण-इक्विटी अनुपात, ब्याज कवरेज अनुपात, लाभ मार्जिन, रेटिंग अपग्रेड-डाउन अनुपात, क्षेत्रीय अनर्जक आस्तियां/तनावग्रस्त आस्तियां, उद्योग का कार्य-निष्पादन और दृष्टिकोण, क्षेत्र द्वारा सामना किए जाने वाले

कानूनी/विनियामक मुद्दे आदि जैसे मात्रात्मक और गुणात्मक पहलू शामिल हो सकते हैं। समीक्षाओं में क्षेत्र-विशिष्ट मापदंड भी शामिल हो सकते हैं।

99. इसी प्रकार, कोई बैंक स्वेच्छा से एनपीए के लिए इन निदेशों के तहत निर्धारित दरों से अधिक दरों पर विशिष्ट प्रावधान कर सकता है, ताकि वसूली योग्य राशि में अनुमानित वास्तविक हानि की भरपाई की जा सके, बशर्ते कि ऐसी उच्च दरों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाए और वर्ष दर वर्ष लगातार अपनाया जाए।

100. ऐसे अतिरिक्त प्रावधानों को अस्थायी प्रावधान नहीं माना जाएगा।

101. एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान, जैसे कि एनपीए पर न्यूनतम विनियामक प्रावधान, सकल एनपीए से घटाकर निवल एनपीए प्राप्त किया जा सकता है।

एच. विशेष परिस्थितियों में प्रावधान

102. धोखाधड़ी के मामलों के संबंध में प्रावधान

(1) धोखाधड़ी का पता चलने पर बैंक सामान्यतः बैंक को देय या जिसके लिए बैंक उत्तरदायी है, उस पूरी राशि के लिए (जमा खातों के मामले सहित) तुरंत प्रावधान करेगा।
(2) तिमाही लाभ-हानि पर ऐसे प्रावधान के प्रभाव को कम करने के लिए, बैंक के पास धोखाधड़ी का पता चलने वाली तिमाही से शुरू होकर अधिकतम चार तिमाहियों की अवधि में प्रावधान करने का विकल्प है।.

(3) यदि कोई बैंक धोखाधड़ी के लिए दो से चार तिमाहियों में प्रावधान करने का विकल्प चुनता है और इसके परिणामस्वरूप पूर्ण प्रावधान एक से अधिक वित्तीय वर्ष में किया जाता है, तो बैंक वित्तीय वर्ष के अंत में शेष शेष राशि को 'अन्य भंडार' [अर्थात, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 17(2) के अनुसार बनाए गए भंडार के अतिरिक्त] से प्रावधानों में जमा करके डेबिट करेगा। हालांकि, बैंक अगले वित्तीय वर्ष की बाद की तिमाहियों में 'अन्य भंडार' से डेबिट को आनुपातिक रूप से उलट देगा और लाभ और हानि खाते को डेबिट करके प्रावधान पूरा करेगा।

(4) प्रावधान आवश्यकता की गणना करते समय, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश 2025 के अनुसार उपलब्ध क्रेडिट जोखिम न्यूनीकरण तकनीकों के तहत पात्र वित्तीय संपार्श्विक को समायोजित कर सकता

है, यदि कोई हो, जो धोखाधड़ी खाता घोषित किए गए खातों के संबंध में उनके पास उपलब्ध है।

103. जमा के बदले अग्रिम / विशिष्ट लिखतों – सावधि जमा के बदले अग्रिम, अभ्यर्पण के लिए पात्र एनएससी, केवीपी, सोने के आभूषण, सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों और जीवन बीमा पॉलिसियों पर उनकी आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार प्रावधान आवश्यकताएं लागू होंगी।

104. ब्याज उचंत खाते का निरूपण

(1) ब्याज उचंत खाते में रखी गई राशि को प्रावधानों के भाग के रूप में नहीं गिना जाएगा।

(2) ब्याज उचंत खाते में रखी राशि को संबंधित अग्रिमों से घटाया जाएगा और उसके बाद, ऐसी कटौती के बाद शेष राशि पर मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाएगा।

105. परियोजना वित्त

(1) परियोजना वित्त ऋणों के लिए, बैंक को पोर्टफोलियो आधार पर वित्तपोषित बकाया राशि के लिए निम्नलिखित दरों पर सामान्य प्रावधान बनाए रखना होगा:

	निर्माण चरण (प्रतिशत में)	परिचालन चरण – ब्याज **और** मूलधन के पुनर्भुगतान की शुरुआत **के बाद** (प्रतिशत में)
सीआरई	1.25	1.00
सीआरई-आरएच	1.00	0.75
अन्य सभी	1.00	0.40

(2) जिन खातों ने डीसीसीओ आस्थगन का लाभ उठाया है और जिन्हें 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उनके लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (लघु वित्त बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश 2025 के अनुसार अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधान बनाए रखेगा।

(3) उपरोक्त उप-पैराग्राफ (1) और (2) में निर्धारित प्रावधान उन परियोजनाओं पर लागू नहीं होंगे जिनमें 1 अक्टूबर, 2025 को वित्तीय समापन प्राप्त हो चुका है और ऐसे परियोजना ऋणों के लिए प्रावधान के उद्देश्य से 1 अक्टूबर, 2025 से पहले प्रचलित विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन किया जाता रहेगा, अन्यथा उन्हें निरस्त माना जाएगा।

(4) उपरोक्त उप-पैराग्राफ (3) के होते हुए भी, यदि 1 अक्टूबर, 2025 के बाद ऐसी परियोजनाओं में किसी नए क्रेडिट इवेंट का समाधान और/या ऋण करार में भौतिक नियम और शर्तों में कोई परिवर्तन के मामले में उपर्युक्त उप-पैराग्राफ (1) और (2) में निर्धारित प्रावधान इन परियोजनाओं पर इस प्रकार लागू होंगे मानो इन्हें 1 अक्टूबर, 2025 के बाद स्वीकृत किया गया हो।

(5) एनपीए के रूप में वर्गीकृत परियोजना ऋणों के लिए प्रावधान इन निदेशों के पैरा 81 से 92 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार होगा।

106. ईसीजीसी गारंटी द्वारा कवर किए गए अग्रिम

(1) ईसीजीसी द्वारा गारंटीकृत और संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत अग्रिमों के मामले में, प्रावधान केवल ईसीजीसी द्वारा गारंटीकृत राशि से अधिक शेष राशि के लिए किया जाएगा।

(2) इसके अतिरिक्त, संदिग्ध आस्तियों के लिए किए जाने वाले प्रावधान की गणना करते समय, प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य को पहले ईसीजीसी द्वारा गारंटीकृत राशि के संबंध में बकाया शेष राशि से घटाया जाएगा और फिर प्रावधान किया जाएगा।

उदाहरण I:

बकाया राशि	₹4 लाख
ईसीजीसी कवर	50 प्रतिशत
वह अवधि जिसके लिए अग्रिम संदिग्ध बना हुआ है	दो वर्ष से अधिक समय तक संदिग्ध बना रहा (उदाहरण के लिए 31 मार्च 2014 को)
धारित प्रतिभूति का मूल्य	₹1.50 लाख

आवश्यक प्रावधान जो किए जाने हैं:

बकाया राशि	₹4.00 लाख
घटा: धारित प्रतिभूति का मूल्य	₹1.50 लाख
अप्राप्त शेष राशि	₹2.50 लाख
घटा: ईसीजीसी कवर (अप्राप्त शेष राशि का 50 प्रतिशत)	₹1.25 लाख
निवल अरक्षित शेष	₹1.25 लाख
अग्रिम राशि के अरक्षित हिस्से के लिए प्रावधान	₹1.25 लाख (@अरक्षित हिस्से का 100 प्रतिशत)
अग्रिम राशि के रक्षित हिस्से के लिए प्रावधान (31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार)	₹0.60 लाख (@रक्षित हिस्से का 40 प्रतिशत)
कुल प्रावधान जो किया जाना है	₹1.85 लाख (31 मार्च 2014 को)

107. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई), कम आय आवास के लिए क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच) और राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा शुरू की गई किसी भी मौजूदा या भविष्य की योजनाओं के तहत गारंटी द्वारा कवर किया गया अग्रिम।

(1) यदि सीजीटीएमएसई, सीआरजीएफटीएलआईएच और एनसीजीटीसी द्वारा शुरू की गई किसी भी मौजूदा या भविष्य की योजनाओं/गारंटी के अंतर्गत दिया गया अग्रिम अनर्जक हो जाता है, तो गारंटीकृत हिस्से के लिए कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

(2) गारंटीकृत हिस्से से अधिक बकाया राशि के लिए अनर्जक आस्तियों के प्रावधान संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाएगा।

उदाहरण II:

बकाया राशि	₹10 लाख
सीजीटीएमएसई/सीआरजीएफटीएलआईएच कवर	बकाया राशि का 75 प्रतिशत या अरक्षित राशि का 75 प्रतिशत या ₹37.50 लाख, इनमें से जो भी कम हो
वह अवधि जिसके लिए अग्रिम संदिग्ध बना हुआ है	दो वर्ष से अधिक समय तक संदिग्ध बना रहा (उदाहरण के लिए 31 मार्च 2014 को)
धारित प्रतिभूति का मूल्य ₹1.50 लाख	धारित प्रतिभूति का मूल्य ₹1.50 लाख

आवश्यक प्रावधान जो किए जाने हैं:

बकाया राशि	₹10.00 लाख
घटा: प्रतिभूति का मूल्य	₹1.50 लाख
अरक्षित राशि	₹8.50 लाख
घटा: सीजीटीएमएसई/सीआरजीएफटीएलआईएच कवर (75 प्रतिशत)	₹6.38 लाख
निवल अरक्षित और कवर नहीं किया हुआ भाग:	₹2.12 लाख
रक्षित भाग के लिए प्रावधान @ ₹1.50 लाख का 40 प्रतिशत	₹0.60 लाख
अरक्षित और कवर नहीं किए गए भाग के लिए प्रावधान @ ₹2.12 लाख का 100 प्रतिशत	₹2.12 लाख
कुल प्रावधान जो किया जाना है	₹2.72 lakh

108. विनिमय दर में घट-बढ़ खाते के लिए प्रारक्षित राशि (आरईआरएफए)

जब भारतीय रुपये की विनियम दर में प्रतिकूल गतिविधि हो तो विदेशी मुद्रा की अधिकता वाले ऋण की बकाया राशि (जहां वास्तविक वितरण भारतीय रुपये में किया गया हो) कालातीत देय राशि हो जाती है तो वह तदनुसार बढ़ जाती है जिसके परिणामस्वरूप प्रावधान की अपेक्षाओं

पर भी असर पड़ता है। इस प्रकार की आस्तियों का सामान्यतः पुनर्मूल्यन नहीं किया जाना चाहिए। यदि इस तरह की आस्तियों का पुनर्मूल्यन लेखाकरण की अपेक्षाओं के अनुसार अथवा किसी अन्य अपेक्षा के कारण किया जाये तो निम्नलिखित क्रियाविधि अपनायी जानी चाहिए:

(1) आस्तियों के पुनर्मूल्यन पर हानि को बैंक के लाभ और हानि खाते में डाला जाना चाहिए।

(2) आस्ति वर्गीकरण के अनुसार प्रावधान की अपेक्षा के अतिरिक्त, पुनर्मूल्यन से लाभ की संपूर्ण राशि को विशिष्ट आस्तियों पर प्रावधान के रूप में विदेशी मुद्रा विनिमय में घट-बढ़ के कारण तदनुरूपी आस्तियों, यदि कोई हों, के संबंध में माना जाना चाहिए।

109. देश जोखिम के लिए प्रावधान करना

(1) बैंक को देश विशेष संबंधी अपने निवल निधिगत एक्सपोजर पर 0.25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के क्रमिक मान (स्केल) के आधार पर नीचे दिये गये जोखिम संवर्ग के अनुसार प्रावधान करना चाहिए :

जोखिम का संवर्ग	ईसीजीसी का वर्गीकरण	प्रावधान आवश्यकता (प्रतिशत)
नगण्य	ए1	0.25
कम जोखिम	ए2	0.25
सामान्य रूप से कम जोखिम	बी1	5
सामान्य जोखिम	बी2	20
सामान्य रूप से अधिक जोखिम	सी1	25
अधिक जोखिम	सी2	100
बहुत अधिक जोखिम	डी	100

(2) बैंक को उस देश के संबंध में देश जोखिम के लिए प्रावधान करना होगा जहां उसका निवल वित्तपोषित जोखिम उसकी कुल आस्तियों का एक प्रतिशत या उससे अधिक है।

(3) देश जोखिम के लिए प्रावधान, आस्ति की आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार रखे जाने वाले प्रावधानों के अतिरिक्त होगा।

(4) उपरोक्त उप-पैरा (3) के होते हुए भी, 'हानि आस्तियों' और 'संदिग्ध आस्तियों' के मामले में, देश जोखिम के लिए रखे गए प्रावधान सहित, रखा गया प्रावधान बकाया राशि के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(5) 'स्वदेश' संबंधी एक्सपोजर अर्थात् भारत संबंधी एक्सपोजर के लिए बैंक को प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

(6) भारतीय बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं के मूल देश संबंधी एक्सपोजर को प्रावधान आवश्यकताओं की गणना में शामिल किया जाना चाहिए।

(7) विदेशी बैंक भारत स्थित अपनी शाखाओं के संबंध में देश संबंधी एक्सपोजर की गणना करेंगे और उसके लिए भारत की बहियों में उपयुक्त प्रावधान करेंगे। तथापि, उनके भारत संबंधी एक्सपोजर उपरोक्त उद्देश्य के लिए शामिल नहीं किये जायेंगे।

(8) बैंक अल्पावधि के एक्सपोजर (अर्थात् 180 दिन से कम अवधि के संविदागत परिपक्वता वाले जोखिम) के संबंध में कम स्तर का प्रावधान (जैसे, अपेक्षित प्रावधान का 25 प्रतिशत) कर सकते हैं।

110. प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए प्रदान की गई चलनिधि सुविधा के लिए प्रावधान मानदंड - भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - प्रतिभूतिकरण लेनदेन) निदेश 2025 के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में 90 दिनों से अधिक समय से आहरित की गई और बकाया चलनिधि सुविधा की राशि के लिए पूर्ण प्रावधान किया जाएगा।

111. डेरिवेटिव एक्सपोजर के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षाएँ

(1) ब्याज दर व विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव लेनदेनों, ऋण चूक स्वैप तथा स्वर्ण संबंधी संविदा के वर्तमान बाजार- दर-आधारित्त मूल्य पर की गयी गणना के अनुसार संबंधित काउंटरपार्टियों के ऋण एक्सपोजर पर भी उसी प्रकार प्रावधानीकरण अपेक्षा लागू होगी जैसे ‘मानक’ संवर्ग की ऋण आस्तियों पर लागू होती है।

(2) मानक आस्तियों के प्रावधान के संबंध में जो सारी शर्तें लागू होती है, ये सब डेरिवेटिव और स्वर्ण एक्सपोजरों के लिए किए जानेवाले उपर्युक्त प्रावधानों पर भी लागू होंगी।

112. आवास ऋणों के लिए लुभावनी दरों पर प्रावधान करना

(1) लुभावनी दरों पर दिए गए आवास ऋणों की बकाया राशि पर मानक आस्ति प्रावधान, अर्थात् प्रारंभिक कुछ वर्षों में अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों पर दिए गए ऋणों पर, जिनके बाद दरें उच्च दरों पर निर्धारित की जाती हैं, इनसे जुड़े उच्च जोखिम को देखते हुए 2.00 प्रतिशत होगा।

(2) यदि खाते 'मानक' बने रहते हैं, तो उच्च दरों पर निर्धारित किए जाने की तिथि से एक वर्ष बाद इन आस्तियों पर प्रावधान 0.40 प्रतिशत पर वापस आ जाएगा।

113. बाजार तंत्र के माध्यम से बड़े उधारकर्ताओं के लिए ऋण आपूर्ति बढ़ाने संबंधी दिशानिर्देशों के संदर्भ में प्रावधान संबंधी आवश्यकता

(1) निर्दिष्ट उधारकर्ताओं के संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - संकेंद्रण जोखिम प्रबंध) निदेश 2025 में निहित बाजार तंत्र के माध्यम से बड़े उधारकर्ताओं के लिए ऋण आपूर्ति बढ़ाने संबंधी दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, बैंक उक्त दिशानिर्देशों में परिभाषित सामान्य रूप से अनुमत उधार सीमा (एनपीएलएल) से अधिक बैंकिंग प्रणाली के वृद्धिशील जोखिम पर लागू प्रावधान के अतिरिक्त तीन प्रतिशत अंक का अतिरिक्त प्रावधान करेगा।

(2) यह उच्च प्रावधान आवश्यकता प्रत्येक बैंक के निर्दिष्ट उधारकर्ता के लिए वित्तपोषित जोखिम के अनुपात में वितरित की जाएगी।

114. इरादतन चूककर्ता

(1) ऐसी कंपनियों को दिए गए मौजूदा ऋणों/ एक्सपोजरों के संबंध में प्रावधान, जिनके निदेशक (संकट के समय नियुक्त किए गए सरकारी/वित्तीय संस्थानों के नामित निदेशकों को छोड़कर) का नाम इरादतन चूककर्ताओं की सूची में एक से अधिक बार आता है, वहां मानक खातों के मामलों में पांच प्रतिशत होगा।

(2) यदि ऐसे खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उस पर निम्नलिखित अनुसार त्वरित प्रावधान लागू होगा।

आस्ति वर्गीकरण	एनपीए के रूप में अवधि	नियमित प्रावधान (प्रतिशत)	त्वरित प्रावधान (प्रतिशत)
अवमानक (रक्षित)	6 महीने तक	15	कोई बदलाव नहीं
	6 महीने से 1 वर्ष तक	15	25
अवमानक (आरंभिक अरक्षित)	6 महीने तक	25 (अवसंरचना ऋण के अलावा)	25
		20 (अवसंरचना ऋण)	
	6 महीने तक	25 (अवसंरचना ऋण के अलावा)	40
		20 (अवसंरचना ऋण)	
संदिग्ध।	दूसरा वर्ष	25 (रक्षित भाग)	40 (रक्षित भाग)

		100 (अरक्षित भाग)	100 (अरक्षित भाग)
संदिग्ध II	तीसरे और चौथे वर्ष	40 (रक्षित भाग) 100 (अरक्षित भाग)	रक्षित और अरक्षित दोनों भागों के लिए 100
संदिग्ध III	5वें वर्ष से आगे	100	100

115. अंतरण (टेकआउट) वित्तपोषण

(1) ऋण देने वाला बैंक और/या अधिग्रहण करने वाला बैंक, पैरा 58 के अनुसार आस्ति वर्गीकरण के अनुरूप उचित प्रावधान करेगा।

(2) जब भी अधिग्रहण करने वाली संस्था द्वारा आस्ति का अधिग्रहण किया जाता है, ऋण देने वाला बैंक संबंधित प्रावधानों को उलट सकता है।

आई. प्रोविजनिंग कवरेज अनुपात (पीसीआर)

116. समष्टि विवेकपूर्ण दृष्टि से बैंक को अच्छे समय में, यानी जब लाभ अच्छा हो रहा हो, प्रावधानीकरण और पुंजी संचय में वृद्धि करनी चाहिए, जिनका प्रयोग मंदी के दौर में हानि को अत्मसात् करने में किया जा सकता है।

117. रिज़र्व बैंक ने किसी बैंक के लिए पीसीआर का कोई विनियामक न्यूनतम स्तर निर्धारित नहीं किया है और यह बैंक के विवेक पर छोड़ दिया गया है।

अध्याय V - आय निर्धारण

ए. आय निर्धारण के लिए सामान्य सिद्धांत

118. बैंक केवल 'मानक' श्रेणी में वर्गीकृत ऋण सुविधाओं के संबंध में ही उपार्जन के आधार पर आय निर्धारण कर सकता है।

119. सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण सुविधाओं सहित, 'मानक' श्रेणी में वर्गीकृत न की गई ऋण सुविधाओं के लिए, आय निर्धारण वास्तविक के आधार पर, अर्थात् नकद आधार पर की जाएगी।

120. पैरा 119 के होते हुए भी, सावधि जमा, एनएससी, केवीपी और जीवन बीमा पॉलिसियों के विरुद्ध दिए गए अग्रिमों पर ब्याज देय तिथि पर आय खाते में लिया जा सकता है, बशर्ते खातों में पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध हो।

121. बकाया ऋणों के पुनर्गठन या पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा अर्जित शुल्क और कमीशन को पुनपरक्रामित या पुनर्निर्धारित ऋण विस्तार की अवधि में उपार्जन के आधार पर निर्धारण किया जाएगा।

बी. एनपीए के रूप में वर्गीकरण होने पर आय का प्रतिवर्तन

122. यदि कोई अग्रिम, जिसमें खरीदे और भुनाए गए बिलों के साथ-साथ सरकारी गारंटीकृत खाता भी शामिल है, एनपीए हो जाता है, तो पिछली अवधियों में अर्जित और आय खाते में जमा किया गया संपूर्ण ब्याज, यदि वह वसूल नहीं किया जाता है, तो प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा।

123. यदि ब्याज भुगतान पर अधिस्थगन (ऋण की स्वीकृति के समय अनुमत) वाले ऋण, अधिस्थगन की अवधि समाप्त होने के बाद एनपीए हो जाते हैं, तो अधिस्थगन की अवधि के दौरान अर्जित ब्याज के अनुरूप पूंजीकृत ब्याज, यदि कोई हो, को प्रतिवर्तित की आवश्यकता नहीं है।

124. एनपीए के संबंध में, अर्जित शुल्क, कमीशन और इसी तरह की आय वर्तमान अवधि में अर्जित होना बंद हो जाती है और यदि पिछली अवधियों में वसूल नहीं की गई है तो उसे प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा।

125. पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में, पट्टे पर दी गई आस्ति पर वित्त आय (जैसा कि 'एएस 19 पट्टे' में परिभाषित है) का वित्त प्रभार घटक, जो आस्ति के अनर्जक होने से पहले अर्जित किया गया था और आय खाते में जमा किया गया था और अप्राप्त रहा है, उसे चालू लेखा अवधि में प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा या उसके लिए प्रावधान किया जाएगा।

सी. एनपीए वर्गीकरण के बाद ब्याज लगाना

126. किसी खाते के एनपीए हो जाने पर बैंकों द्वारा ऐसे खाते पर पहले ही लगाए गए लेकिन वसूल नहीं किए गए ब्याज को लाभ तथा हानि खाता के नामे करते हुए प्रत्यावर्तित कर देगा तथा उस पर आगे ब्याज की संगणना नहीं करेगा।

127. बैंक अपनी बहियों के मेमोरंडम खाते में इस प्रकार के उपचित ब्याज की दर्ज करना जारी रखेंगे।

128. सकल अग्रिमों की संगणना के प्रयोजन से मेमोरंडम खाते में दर्ज ब्याज को हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए।

डी. एनपीए से वसूली का विनियोजन

129. अनर्जक आस्तियों पर वसूल ब्याज को आय खाते में लिया जाए, बशर्ते ब्याज हेतु खातों में जमा राशि संबंधित ऋणकर्ता को संस्वीकृत नयी / अतिरिक्त ऋण सुविधाओं में से न हो।

130. अनर्जक आस्तियों (अर्थात् देय मूलधन या ब्याज) में वसूली के विनियोग के प्रयोजन के लिए बैंक और ऋणकर्ता के बीच स्पष्ट करार न होने से, बैंकों को लेखांकन सिद्धांत अपनाना चाहिए तथा वसूलियों के विनियोग के अधिकार का एकसमान और सुसंगत रूप में प्रयोग करना चाहिए।

ई. विशेष मामलों में आय निर्धारण

131. एनपीए के रूप में वर्गीकृत डेरिवेटिव करार

(1) एनपीए के रूप में वर्गीकृत डेरिवेटिव करारों के संबंध में, उपार्जन आधार पर पहले से ही दर्ज की गई और 'लाभ और हानि खाते' में ले जाई गई अप्राप्त आय को दर्शाने वाली राशि को प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा और 'उचंत खाता-क्रिस्टलीकृत प्राप्य राशि' में रखा जाएगा, जैसा कि अतिदेय अग्रिमों के मामले में किया जाता है।

(2) इसके अतिरिक्त, उन मामलों में जहां डेरिवेटिव करारों में भविष्य में और अधिक निपटान का प्रावधान है, एमटीएम मूल्य में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) क्रिस्टलीकृत प्राप्य राशियां; और
(ii) भविष्य की प्राप्य राशियों के संबंध में सकारात्मक या ऋणात्मक एमटीएम।

(3) यदि डेरिवेटिव करार 90 दिनों तक बकाया प्राप्य राशि के भुगतान न होने पर समाप्त नहीं किया जाता है, तो उप-पैरा (1) में ऊपर उल्लेखानुसार लाभ और हानि खाते से क्रिस्टलीकृत प्राप्य राशि को प्रतिवर्तित करने के अलावा, भविष्य की प्राप्य राशियों से

संबंधित सकारात्मक एमटीएम को भी लाभ और हानि खाते से 'उचंत खाता - सकारात्मक एमटीएम' नामक दूसरे खाते में प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा।

(4) एमटीएम मूल्य में बाद के सकारात्मक परिवर्तन को 'उचंत खाता – सकारात्मक एमटीएम' में जमा किया जाएगा, न कि लाभ और हानि खाते में।

(5) एमटीएम मूल्य में बाद में होने वाली गिरावट को 'उचंत खाता – सकारात्मक एमटीएम' में शेष राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। यदि इस खाते में शेष राशि पर्याप्त नहीं है, तो शेष राशि को लाभ और हानि खाते में डेबिट किया जा सकता है।

(6) बकाया राशि का नकद भुगतान करने पर, 'उचंत खाता- क्रिस्टलीकृत प्राप्य राशियां' में शेष राशि, भुगतान की सीमा तक, 'लाभ और हानि खाते' में अंतरित कर दी जाएगी।

(7) यदि बैंक के पास उधारकर्ता पर अन्य डेरिवेटिव ऋण हैं, तो किसी विशेष डेरिवेटिव लेनदेन के संबंध में क्रिस्टलीकृत/निपटान राशि को एनपीए के रूप में माने जाने के बाद अन्य डेरिवेटिव ऋणों के एमटीएम को भी इस पैराग्राफ में वर्णित तरीके से निपटाया जाएगा / लेखांकित किया जाएगा।

(8) इसी प्रकार, यदि किसी उधारकर्ता को दी गई निधि-आधारित ऋण सुविधा को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो सभी डेरिवेटिव जोखिमों के एमटीएम को इस पैराग्राफ के अनुसार माना जाएगा।

132. अंतरण(टेकआउट) वित्तपोषण

(1) आय निर्धारण के लिए मानदंडों का पालन उस बैंक द्वारा किया जाएगा जिसके बहीखातों में खाता प्रासंगिक तिथि को तुलन पत्र मद के रूप में दर्ज है।

(2) यदि अधिग्रहण करने वाली संस्था द्वारा अधिग्रहण से पहले ऋण सुविधा एनपीए हो जाती है, तो ऋण देने वाले बैंक को उपार्जन के आधार पर आय निर्धारण नहीं करना चाहिए और इसका लेखा-जोखा तभी करना चाहिए जब उधारकर्ता/अधिग्रहण करने वाली संस्था द्वारा इसका भुगतान किया जाए (यदि व्यवस्था में ऐसा प्रावधान हो)।

133. ऐसे ऋणों के मामलों में जहां ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए अधिस्थगन दिया गया है, उन खातों, जिन्हें 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, के लिए उपार्जन आधार पर आय निर्धारण किया

जा सकता है। इसका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश 2025 में दी गई 'पुनर्गठन' की परिभाषा के अनुसार किया जाएगा।

एफ. प्रावधानों के संबंध में कर निर्धारण

134. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43(डी) के अनुसार, ऐसे अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों की श्रेणियों के संबंध में ब्याज के रूप में प्राप्त आय, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसे ऋणों के संबंध में जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाए, उस पिछले वर्ष में कर योग्य होगी जिसमें इसे लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है या प्राप्त किया जाता है, जो भी पहले हो।

135. पैरा 134 में उल्लिखित प्रावधान इन निदेशों के अनुसार किए जाने वाले प्रावधान पर लागू नहीं होता है। अतः, इन निदेशों के अनुसार एनपीए के लिए प्रावधान करने हेतु अलग रखी गई राशि कर कटौती के लिए पात्र नहीं है।

136. बैंक या तो इन निदेशों के अनुसार पूर्ण प्रावधान करेगा या ऐसे अग्रिमों को बट्टे खाते में डालेगा और अपने लेखा परीक्षकों/कर सलाहकारों के परामर्श से उचित कार्यप्रणाली विकसित करके लागू कर लाभों का दावा करेगा।

137. ऐसे खातों में की गई वसूली को नियमों के अनुसार कर प्रयोजनों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

अध्याय VI – निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और बचाव

138. इन निदेशों के जारी होने के साथ ही, लघु वित्त बैंकों पर लागू आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से संबंधित मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त हो गए हैं, जैसा कि दिनांक 28 नवंबर 2025 के परिपत्र विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 के माध्यम से सूचित किया गया है। इन निदेशों के जारी होने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त बने रहेंगे।

139. ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के अंतर्गत की गई या की जाने वाली या आरंभ की गई कोई भी कार्रवाई, उनके प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी। इन निरस्त सूचियों के अंतर्गत दिए गए सभी अनुमोदन या अभिस्वीकृतियाँ इन निदेशों द्वारा शासित मानी जाएँगी। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त करने से निम्न पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

(1) इसके अंतर्गत अर्जित, उपार्जित या उपगत कोई भी अधिकार, दायित्व या देयता;

(2) इसके अंतर्गत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई जुर्माना, जब्ती या दंड;

(3) किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, जुर्माना, जब्ती या पूर्वोक्त दंड के संबंध में कोई जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार; और ऐसी कोई भी जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी जुर्माना, जब्ती या दंड लगाया जा सकता है जैसे कि इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया हो।

बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं

140. इन निदेशों के प्रावधान वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून, नियम, विनियम या निदेश के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके प्रतिकूल।

सी. व्याख्याएं

141. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से या इन निदेशों के प्रावधानों के अनुप्रयोग या व्याख्या में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि आवश्यक समझे

तो, इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की दी गई व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

वैभव चतुर्वेदी
(मुख्य महाप्रबंधक)

अनुबंध I

सकल अग्रिम, सकल एनपीए, निवल अग्रिम और निवल एनपीए का विवरण

भाग ए

			(₹ in crore up to two decimals)
		Particulars	**Amount**
1.		Standard Advances	
2.		Gross NPAs *	
3.		Gross Advances ** (1+2)	
4.		Gross NPAs as a percentage of Gross Advances (2/3) (in per cent)	
5.		Deductions	
	(i)	Provisions held in the case of NPA Accounts as per asset classification (including additional Provisions for NPAs at higher than prescribed rates).	
	(ii)	DICGC / ECGC claims received and held pending adjustment	
	(iii)	Part payment received and kept in Suspense Account or any other similar account	
	(iv)	Balance in Sundries Account (Interest Capitalization - Restructured Accounts), in respect of NPA Accounts	
	(v)	Floating Provisions***	
6.		Net Advances (3-5)	
7.		Net NPAs {2-5(i + ii + iii + iv + v)}	
8.		Net NPAs as percentage of Net Advances (7/6) (in per cent)	
*		Principal dues of NPAs plus Funded Interest Term Loan (FITL) where the corresponding contra credit is parked in Sundries Account (Interest Capitalization - Restructured Accounts), in respect of NPA Accounts.	
**		For the purpose of this Statement, 'Gross Advances' mean all outstanding loans and advances including advances for which refinance has been received but excluding rediscounted bills, and advances written off at Head Office level (Technical write off).	
***		Floating Provisions would be deducted while calculating Net NPAs, to the extent, banks have exercised this option, over utilising it towards Tier II capital.	

भाग बी

अनुपूरक विवरण

		(₹ in crore up to two decimals)
	Particulars	**Amount**
1.	Provisions on Standard Assets in Part A above	
2.	Interest recorded as Memorandum Item	
3.	Amount of cumulative Technical Write - Off in respect of NPA accounts reported in Part A above	